एक रिपोर्ट............................ 5
अध्यक्षीय सम्बोधन.................. 6
प्रस्ताव
माओवाद के खिलाफ.......... 14
संप्रग (II) का एक वर्ष...... 16
भारतीय संघ के संघीय ढांचे. 20
आडवाणीजी का मार्गदर्शन 23

लेख
देशहित में नहीं रंगनाथ मिश्रा आयोग रिपोर्ट
–भूपेन्द्र यादव........................ 26

अन्य
भोपाल गैस त्रासदी................ 29

सम्पादक
çHkkr >k] lkn
सम्पादक मंडल
lR;iky
d`- d`- 'kek
lathö dekj flUgk
पृष्ठ संयोजन
/keUæ dk'ky
fodkl luh
सम्पर्क
Mk- eqdthZ Lefr U;kl
ih-ih&66] lqcze.;e Hkkjrh ekxZ
ubZ fnYyh&110003
Qksu ua- +91¼11½&23381428
QSDl ¼ +91¼11½&23387887
lnL;rk grq ¼ +91¼11½&23005700
सदस्यता शुल्क
okf"kZd 100#- | f=okf"kZd 250#-
e-mail address
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

{ जनता की छाती भिदें और तुम नींद करो
अपने भर तो यह जुल्म नहीं होने दूंगा }
–रामधारी सिंह दिनकर

lEikndh;

दहशत की दास्तान

Hkks पाल गैस त्रासदी भारतीय इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है, जिसे शायद ही भुलाया जा सकता है। वर्ष 1984 में 2–3 दिसंबर की रात भोपाल की सरजमीं पर घटित इस त्रासदी ने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दी। विश्व इतिहास में इससे बड़ा औद्योगिक हादसा पूर्व में कभी नहीं हुआ। यूनियन कार्बाइड कारखाने का भोपाल में लगना औद्योगिक विकास की कड़ी थी या साजिश, आज तक समझ में नहीं आया।

भोपाल सीजीएम कोर्ट ने 25 साल बाद फैसला दिया, जिसमें यूनियन कार्बाइड के मुख्य निदेशक वारेन एंडर्सन, जो एक भगोड़ा था तथा अन्य 8 लोगों पर गंभीर आरोप जड़े थे, उन्हें मात्र दो साल की सजा सुनाई। जज बेचारा क्या करता? अपराध की जैसी धाराएं, वैसी सजाएं। सबसे चिंतनीय बात यह है कि फैसले के बाद जो बातें सामने आई है वह अत्यंत दुखद हैं।

कांग्रेस इतनी निर्दयी हो गई कि 15,000 मौतों को मात्र एक एंडर्सन की खातिर एक ही तराजू पर तौल दिया। भारतीय स्वाभिमान के साथ ऐसा गंदा खेल कभी किसी ने नहीं खेला। 25 साल बाद आए फैसले के बाद जो बातें गैस त्रासदी की खदान से निकल कर आ रही हैं उससे लगता है कि उस समय मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री एंडर्सन था और यूनियन कार्बाइड के मुख्य निदेशक अर्जुन सिंह। यूनियन कार्बाइड में हुई गैस त्रासदी में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की पोल खुली। हनुमानगंज थाना एंडर्सन को गिरफ्तार करने के नाम पर मुचलका देता है। मुख्यमंत्री अर्जुन कहते हैं कि तफ्तीश में एंडर्सन की कोई जरूरत ही नहीं। पूरा शासन प्रशासन दांव पर लग जाता है। एंडर्सन को भगाया नहीं, बल्कि बाइज्जत विदाई दी जाती है। उन्हें बाकायदा सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान, सरकारी लोग बिदाई देते है, परन्तु बिलखते बच्चे, तड़पती मां, रोती बहन, सिर पकड़ता पिता, अभागा भाई... यह दृश्य किसी कांग्रेसी नेता के सामने नहीं आता है। आखिर क्या मजबूरी थी तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की? किसका दबाव था? क्या उन पर राजीव गांधी का दबाव था? क्या यह सच अर्जुन सिंह स्वीकार करने से घबराते हैं? आखिर वह चुप क्यों हैं? वह उज्जैन के मौनी बाबा के शिष्य रहे हैं, लगता है इसलिए वे मौन साधे हुए हैं। अर्जुन सिंह चुप्पी तोड नहीं रहे और सोनिया गांधी कुछ बोल नहीं रही। तथ्य सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं दो–दो मुख्य न्यायाधीश अपने निजी स्वार्थों के लिए दांव पर लग गए। कौन करेगा विश्वास न्यायपालिका पर? एसपी, कलेक्टर तक बिक गए। मुख्य सचिव, डीजीपी कानून के रक्षक नहीं भक्षक साबित हुए। सैंया भये कोतवाल

तो अब डर काहे का? जब एंडर्सन और अर्जुन सिंह के बीच दूरी मिट गई तो भला किसकी मजाल कि कोई कुछ कर सके? गैस त्रासदी से भी बड़ा हादसा यह था कि लोग हादसे के साथ भी हादसा करने से नहीं चूक रहे थे।

धन्यवाद देना चाहिए चौथे स्तंभ खबरपालिका को कि उसने भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की। निर्णय आते ही जिस तरह से खबरपालिका ने हत्यारों और गुनाहगारों को कटघरे में खड़ा किया उसे पत्रकारिता की दुनिया में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। खबरपालिका ने कांग्रेस के राजनीतिक चरित्र को उजागर किया है। कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र प्रारंभ से ही ऐसा रहा है। अगर ऐसा न होता तो संविधान का गला घोंट कर श्रीमती इंदिरा गांधी आपातकाल नहीं लगातीं। 25 जून, 1975 की काली रात को कोई भूल नहीं सकता। मौत के सौदागरों को नहीं बख्शना चाहिए। मुआवजा देकर हत्यारों को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

भाजपा ने इस भोपाल गैस त्रासदी पर निर्णय के बाद से इस संघर्ष को अपने हाथ में ले लिया है। इसी का परिणाम है कि केन्द्र सकते में आ गई है और अपने हाथों से मुंह छिपा रही है। कांग्रेस देश को जवाब नहीं दे पा रही। कटघरे में खड़ी कांग्रेस अपने पाप को मुआवजों से ढकना चाहती है। सच सामने आता ही है और सच सामने आ गया। कांग्रेस को सच को निगलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देश की जनता आने वाले दिनों में अर्जुन सिंह और सोनिया गांधी से नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस से इसका जवाब मांगेगी। ■

भाजपा केन्द्रीय चुनाव समिति व अनुशासन समिति के नये सदस्य एवं मोर्चों के नये अध्यक्ष घोषित

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने केन्द्रीय चुनाव समिति के सदस्य, अनुशासन समिति के सदस्य एवं मोर्चों के अध्यक्षों को नियुक्त किया है। जोकि इस प्रकार है :–

केन्द्रीय चुनाव समिति के सदस्य

1. श्री नितिन गड़करी, अध्यक्ष
2. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
3. श्री लालकृष्ण आडवाणी
4. डॉ0 मुरली मनोहर जोशी
5. श्री वेकैंया नायडू
6. श्री राजनाथ सिंह
7. श्रीमती सुषमा स्वराज
8. श्री अरूण जेटली
9. श्री बाळ आपटे
10. श्री अनंत कुमार, सचिव
11. श्री थावरचंद गेहलोत
12. श्री रामलाल
13. श्री कलराज मिश्र
14. श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया
15. श्री गोपीनाथ मुंडे
16. श्री अर्जुन मुंडा
17. श्री विजय गोयल
18. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
19. श्री धर्मेन्द्र प्रधान
20. सैयद शाहनवाज हुसैन

अनुशासन समिति के सदस्य

1. प्रो0 ओमप्रकाश कोहली, अध्यक्ष
2. श्री बलरामदास जी टंडन
3. श्री केसरीनाथ त्रिपाठी
4. श्री ओ0 राजगोपाल
5. श्रीमती मृदुला सिन्हा

मोर्चों के अध्यक्ष

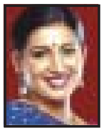

Jherh Lefr bjkuh
अध्यक्ष, महिला मोर्चा

Jh vuqjkx Bkdqj
अध्यक्ष, युवा मोर्चा

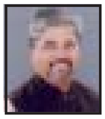

Jh n";ar xkSre
अध्यक्ष, अनुसूचित जाति मोर्चा

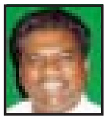

Jh QXxufla g dqyLrs
अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति मोर्चा

Jh ruohj vgen
अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चा

Jh vkeizdk'k èkudM+
अध्यक्ष, किसान मोर्चा

स्वाभिमान से समझौता अस्वीकार

&l:tho d|ekj

Hkk रतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक गत 12–13 जून को पटना के होटल मौर्य परिसर (चाणक्य नगर) में संपन्न हुई, जिसमें भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित 252 सदस्यों ने हिस्सा लिया।

कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने जहां बिहारवासियों से आगामी विधानसभा चुनाव में दोबारा राजग की सरकार बनाने की अपील की, वहीं आतंकवाद, नक्सलवाद, महंगाई और सी.बी.आई. के गलत इस्तेमाल जैसे राष्ट्रीय विषयों पर केन्द्र की यूपीए सरकार को विफल बताया। बैठक में राष्ट्रीय महत्व के तीन प्रस्ताव भी पारित हुए। पहला प्रस्ताव नक्सली हिंसा से संबंधित था तो दूसरा यूपीए–2 के कार्यकाल के पहले वर्ष की विफलताओं से संबंधित था। तीसरा प्रस्ताव केन्द्र सरकार द्वारा भारत के संघीय ढांचे को आघात पहुंचाने के बारे में था।

केन्द्र सरकार की वर्तमान विदेश नीति की आलोचना करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि यूपीए गठबंधन की सरकार नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, अमरीका व अन्य देशों के साथ केवल प्रतिक्रियात्मक विदेश नीति का अनुसरण कर रही है। सरकार हमारे राष्ट्रीय हितों को ताक पर रखकर अमरीका की बंधक बनी हुई है।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के अवसर पर 13 जून को पटना के गांधी मैदान में भाजपा ने बिहार स्वाभिमान रैली आयोजित की। इसमें बिहार के कोने–कोने से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली में पूर्व उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने सर्वत्र प्रशंसा का केन्द्र बने गुजरात के विकास से बात आरम्भ करते हुए कहा, 'गुजरात की प्रगति में एक हिस्सा सुशासन और ईमानदारी का है तो दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा स्वाभिमान का है। इसलिए बिहार के तीव्र विकास हेतु बिहार का स्वाभिमान जगना आवश्यक है। पार्टी ने इसी दृष्टि से इस रैली का नाम बिहार स्वाभिमान रैली रखा है।'

श्री आडवाणी ने आगे कहा कि जब तक किसी स्थान के लोग वहां की धरती से स्वाभिमान के साथ नहीं जुड़ते तब तक उस स्थान का स्थायी विकास संभव नहीं हो पाता। उन्होंने पटना का नाम पाटलिपुत्र करने तथा गंगा नदी के तट पर एक 'सभ्यता द्वार' बनाने की मांग भी की, जिससे लोग अपने गौरवशाली अतीत का स्वाभिमानपूर्वक स्मरण रख सकें। उन्होंने वचन दिया कि अगर राज्य सरकार इससे संबंधित कोई प्रस्ताव केन्द्र को भेजती है तो दोनों सदनों में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते भाजपा इस प्रस्ताव का दिल खोल कर समर्थन करेगी।

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहारवासियों की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि बिहार के लोग प्रतिभावान होते हैं। वे हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो या मीडिया। बिहार के लोगों ने गुजरात के विकास में अविस्मरणीय योगदान दिया है। बिहार–झारखंड के कोयले से ही गुजरात में भरपूर बिजली है। वहां किसी भी गांव में एक घंटे के लिए भी बिजली नहीं कटती है। भोपाल गैस कांड पर अदालती निर्णय पर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि भोपाल त्रासदी में हजारों लोगों की 'मौत का सौदागर' कौन है? आखिर इस मामले में सोनिया चुप क्यों हैं? माओवाद और आतंकवाद अब तक समाप्त नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ कांग्रेस की है। माओवाद और आतंकवाद को उन्होंने उसी की भाषा में समाप्त करने की बात भी की।

लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि बिहार सरकार विकास और सुशासन के मामले में

शेष पृष्ठ 25 पर

भाजपा अपनी विशिष्ट पहचान कायम रखेगी : नितिन गडकरी

गत 12 एवं 13 जून, 2010 को स्व. भैरोंसिंह शेखावत सभागार, पटना (बिहार) में आयोजित भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में प्रेरणास्पद अध्यक्षीय भाषण देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने प्रतिनिधियों से पार्टी की विशिष्ट पहचान को कायम रखने का आह्वान किया और कहा कि समाज के हर वर्ग में हमारे समर्थक हैं। करोड़ों देशवासियों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। श्री गडकरी ने बेलगाम महंगाई, माओवादी हिंसा और विफल विदेशनीति को लेकर यूपीए सरकार पर जमकर प्रहार किया। हम यहां उनके अध्यक्षीय भाषण का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं:

vkदरणीय आडवाणीजी, मंच पर बैठे अन्य सहयोगियों और साथी प्रतिनिधियों,

मित्रों, नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह पहली बैठक है। मैं इस महत्वपूर्ण पार्टी फोरम में सदस्य बनने के लिए आप सभी का अभिनन्दन करता हूं और न केवल इस संगठन की बैठक में होने वाले विमर्श, बल्कि कार्यक्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य होना कोई सामान्य बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मिशन के प्रति समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हमें अपने को सिद्ध करने का सुअवसर मिला है। जैसाकि मैं अपने सामान्य कार्यकर्ताओं से बार–बार अपील करता रहा हूं कि हमें स्वचालित इंजन बनने की कोशिश करनी चाहिए। आदेशों और निर्देशों के लिए किसी व्यक्ति का इंतजार मत कीजिए। लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। अपने को आम जनता से जोड़िए, उनकी पीड़ाओं और आकांक्षाओं में भागीदार बनिए, उनके बीच काम करिए, अपनी विचार शक्ति के जरिए योगदान करिए, नए विचार दीजिए और पार्टी के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए मुखर बनिए। राजनीतिक सक्रियता का चरित्र बदल रहा है। हमें इस बदलाव के अनुरूप अपने को ढ़ालने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप सशक्त बनेंगे तो पार्टी स्वतः सशक्त बन जाएगी। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का अभिनन्दन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं।

बिहार : समृद्ध धरोहर की भूमि

मित्रों, बिहार की राजधानी पटना साहिब में आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्राचीन काल से ही बिहार राज्य और पाटलिपुत्र के इस ऐतिहासिक शहर का हमारे इतिहास में गौरवशाली स्थान रहा है। यह महात्मा गौतम बुद्ध की भूमि रही है। चंद्रगुप्त मौर्य और आर्य चाणक्य जैसे कई महान नायक यहीं पैदा हुए थे। यही वह भूमि है जिसने भगवान महावीर, गुरू गोविंद सिंह, मजरूल हक, बाबू कुंवर सिंह, राजेन्द्र प्रसाद, रामधारीसिंह दिनकर, कवि सदानंद सरस्वती, बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण और प्रभावतीजी और कर्पूरी ठाकुर सरीखे भारत माता के महान् सपूत–सुपुत्रियों को जन्म दिया। जिन्हें राष्ट्र में सर्वाधिक सम्मान से देखा जाता है। मैं अपनी बात रखने से पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं।

गौतम बुद्ध ने शांति, सद्भाव और त्याग का उपदेश दिया था। भारतीय लोकाचार के निर्माण में इन शिक्षाओं का अपना स्थान है। उन्होंने अपने शिष्यों को परम संदेश दिया था, 'आत्ता दीप भव' जिसका अर्थ है, 'आत्म दीपो भव'। इस संदेश की चिरंतन प्रासंगिकता को कभी नहीं भुलाया जा सकता। महात्मा गांधी से लेकर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर तक, बुद्ध की शिक्षाओं

ने सैंकड़ों दार्शनिकों और चिंतकों को प्रभावित किया। यही कारण है कि दुनिया में लाखों लोग बौद्धधर्म के अनुयायी हैं। नील की खेती करने वाले किसानों के लिए चम्पारण में गांधीजी का संघर्ष आज भी मेरे ह्रदय में तरोताजा है। शिक्षा के महान केन्द्र नालंदा और आध्यात्मिक केन्द्र राजगीर बिहार के रत्नों की तरह हैं।

जब हम सब बिहार में हों तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की याद आना स्वाभाविक है। आप में से कइयों की तरह, मैं भी अपने कॉलेज के दिनों में जेपी से बहुत प्रभावित था, खासकर जब उन्होंने समग्र परिवर्तन के लिए एक जनांदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने इमरजेंसी के कठोर शासन से लड़ते हुए लोकतंत्र की बहाली में अपना अमूल्य योगदान किया। इसके लिए राष्ट्र उनका हमेशा कृतज्ञ रहेगा।

कांग्रेस ने 100 दिनों में जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर लगाम लगाने का वादा किया था, लेकिन कीमतें शत–प्रतिशत बढ़ गईं। प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वे विकास दर को दो अंकों में पहुंचा देंगे। विकास दर दो अंकों में तो नहीं पहुंची, लेकिन मुद्रास्फीति दो अंकों में जरूर पहुंच गई।

पटना शहर, खासकर ऐतिहासिक गांधी मैदान जेपी, के आह्वान पर आम जनता के विशाल जनसैलाब का साक्षी रहा है।

नानाजी और भैरोंसिंहजी

जेपी और 1974 के आंदोलन के बारे में बात करते हुए स्वर्गीय नानाजी देशमुख का स्मरण आना स्वाभाविक है। नानाजी ने यहीं पुलिस लाठीचार्ज का सामना करते हुए जेपी की रक्षा की थी। नानाजी के दुःखद निधन से इस राष्ट्र और भाजपा के हम कार्यकर्ताओं ने एक महान् नेता को खो दिया। नानाजी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। वे जो कहते थे, उस पर चलने का साहस दिखाते थे। उन्होंने हमें दिखाया कि साठ की उम्र पार कर जाने के बाद भी दलीय राजनीति से ऊपर उठते हुए किस तरह राष्ट्र निर्माण में योगदान किया जा सकता है। चित्रकूट में उन्होंने ग्रामीण उत्थान के लिए असंख्य और अत्यंत सफल प्रयोग किए। विकसित भारत के निर्माण के लिए कुछ ठोस करने के इच्छुक हजारों युवक इन प्रयोगों से प्रेरणा लेते रहेंगे। नानाजी ने अपने रचनाकर्म के जरिए यह दिखाया कि जब हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता और प्रतिबद्धता से काम करता है तो आशा से अधिक काम भी कर सकता है। भारत के इस आधुनिक ऋषि को मैं नमन करता हूं।

कुछ हफ्ते पहले, हमने अपने वरिष्ठ नेताओं में एक भैरोंसिंह शेखावत को भी खो दिया। आधुनिक राजस्थान के निर्माण में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वे सही मायने में राजनेता थे। मुख्यमंत्री से लेकर उप–राष्ट्रपति तक वे जिस किसी भी पद पर रहे, उन्होंने उसे गरिमा प्रदान की। जनसंघ के दिनों में, भूमि सुधार के मुद्दे पर पार्टी के एक बड़े तबके के कड़े विरोध के बावजूद वे पार्टी के निर्देशों पर अटल रहे। उनके लिए पार्टी और विचारधारा सर्वोपरि थी। दोनों दिवंगत नेताओं को नमन करते हुए, मैं अपने सभी साथी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे उनके द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों पर चलने की मिसाल पेश करें।

प्रगति पथ पर बिहार

मित्रों, आज हम बिहार में हैं और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बिहार में पहली बार कोई सरकार जनाकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है और वांछित परिणाम दे रही है। बिहार के पिछले शासकों ने राज्य के लोगों में शर्मिंदगी और हीनभावना पैदा करने के अलावा कुछ नहीं किया। दुनिया में कई लोग बिहार को केवल 'बीमारू' के पहले अक्षर के रूप में जानते थे। एनडीए शासन में नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में बीमारू बिहार 'जुझारू' बिहार में परिवर्तित हो गया है। मैं यहां के एनडीए नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं जिसने हर बिहारी में गर्व की भावना भर दी है। बिहार ने 11 प्रतिशत की आश्चर्यजनक विकास दर हासिल कर एक मिसाल कायम की है। मैं राज्य के उप–मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी और कैबिनेट में उनके सभी सहयोगियों को खास तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में यह चमत्कार कर दिखाया है। याद रखिए, कुशासन ने बिहार की नकारात्मक विकास दर को 5 से 15 प्रतिशत के बीच पहुंचा दिया था जहां से एनडीए उसे सकारात्मक 11 प्रतिशत पर ले आया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में बिहार के लोग एक बार फिर एनडीए में अपना भरोसा जताएंगे, राज्य को सफलता की बुलंदी पर पहुंचाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम रोशन करेंगे।

यूपीए : कुशासन का वर्ष

मित्रों, यूपीए–2 ने सत्ता में एक वर्ष पूरा कर लिया है। लेकिन उसका यह पहला वर्ष विफलताओं के नाम है। इस पृष्ठभूमि में इस निष्क्रियता के वर्ष पर विचार करना समीचीन होगा। जहां रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित करने जैसा काम स्वागतयोग्य है, वहीं यह भी सच है कि प्रतिभाशाली छात्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन केवल रिपोर्ट कार्ड के जरिए नहीं, बल्कि अपने कार्यों से भी करता है। कांग्रेस ने 100 दिनों में जरूरी वस्तुओं

की कीमतों पर लगाम लगाने का वादा किया था, लेकिन कीमतें शत–प्रतिशत बढ़ गईं। प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वे विकास दर को दो अंकों में पहुंचा देंगे। विकास दर दो अंकों में तो नहीं पहुंची, लेकिन मुद्रास्फीति दो अंकों में जरूर पहुंच गई।

कमोडिटी एक्सचेंज में फॉरवर्ड ट्रेडिंग से केवल 0.3 प्रतिशत वास्तविक डिलिवरी हुई और 99.7 प्रतिशत कारोबार अटकल तथा जोड़तोड़ में खत्म हुआ। बिचौलियों और जमाखोरों को लाभ पहुंचाने के लिए गेहूँ, चीनी, कपास, तेल और कई अन्य वस्तुओं का कृत्रिम तरीके से अभाव पैदा किया गया। हमने मांग की है कि आवश्यक वस्तुओं को कमोडिटी एक्सचेंज के दायरे से बाहर कर दिया जाए। लेकिन यूपीए ने अभी तक हमारी इस मांग पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि यथास्थिति बनाए रखने में उसके कुछ निहित स्वार्थ हैं।

यह कुशासन का वर्ष था। इसके पहले कांग्रेस अपनी सामूहिक विफलता के लिए यूपीए के पिछले घटकों–खासतौर पर कम्युनिस्टों–को दोषी ठहराया करती थी। आज कांग्रेस अपनी विफलताओं के लिए किसी पार्टी को दोषी नहीं ठहरा सकती। एनडीए के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विपरीत, यूपीए के राजनीतिक नेतृत्व के पास इतना नैतिक साहस नहीं है कि वह अपने घटक दलों के मंत्रियों से–चाहे वे कृषि मंत्री हों, नागरिक उड्डयन मंत्री हों, संचार मंत्री हों या रेल मंत्री हों–जवाबतलबी कर सकें। इस 'अनस्क्रूपलस प्रोटेक्शन एलायंस' (सिद्धांतहीनता संरक्षण गठबंधन) के घटकों के बीच एक अलिखित समझौता दिखता है–'हम जवाब नहीं मांगेंगे, तुम सवाल मत पूछो।'

यूपीए–2 की शुरुआत तेलंगाना के बारे में राजनीतिक फैसले के अभाव से हुई। बाद में और भी कई विफलताएं सामने आईं। यूपीए सरकार निम्न क्षेत्रों में विफल रही–

- नक्सली खतरे से निपटने के लिए एक सुसंगत रणनीति बनाने में
- लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश करने में
- मणिपुर की स्थिति की गंभीरता को समझने में
- अमेरिका से अपनी शर्तों पर बात करने में
- पाकिस्तान के साथ आवश्यक दृढ़ता दिखाने में
- बढ़ती कीमतों के खिलाफ बाजार पर अंकुश लगाने में
- गांवों और नगरों में गरीबों का शोषण करने से बाजार को रोकने में
- भारत के गरीबों की वास्तविक संख्या बताने में।

कुल मिलाकर यूपीए–2 का पहला साल सुपर फ्लॉप शो साबित हुआ। यह कुशासन दूसरी चीजों के साथ–साथ इस सरकार की कुछ बुनियादी विसंगतियों का परिणाम है। यूपीए शासन की सबसे बड़ी विसंगति तो यह है कि उसके प्रशासनिक नेतृत्व में राजनीतिक क्षमता का अभाव है और पीठासीन राजनीतिक मूर्ति को शासन की जटिलताओं की समझ नहीं है। इससे भारत की जनता की स्थिति बदतर हो गई है और इन गड़बड़ियों को परामर्श का कोई भी तंत्र दूर नहीं कर सकता। सरकार की ईमानदारी और इरादे पूर्णतया संदेहास्पद हैं।

ब्रिटेन में चुनाव

मित्रों, भाजपा की तरफ से मैं, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री डेविड केमरन को बधाई देता हूं और कंजरवेटिव–लिबरल सरकार के गठन का स्वागत करता हूं। यह सुखद है कि नई सरकार ''भारत के साथ और ज्यादा भागीदारी'' के लिए प्रतिबद्ध है। यह भागीदारी 21वीं शताब्दी की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए एक नए भारत और एक नए ब्रिटेन के बीच होनी चाहिए। दिलचस्प यह है कि इन ताजा ब्रिटिश संसदीय चुनावों ने 'फर्स्ट–पास्ट–द–पोस्ट' चुनावी प्रणाली की खामियों को उजागर किया है। भाजपा काफी लम्बे समय से हमारी चुनावी प्रणाली में सुधार हेतु एक राष्ट्रीय बहस की बात मुखर करती रही है ताकि खण्डित जनादेश की कठिनाइयों या एक ऐसे जनादेश जो राष्ट्रीय मूड या अधिसंख्यक लोगों की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त न करता हो, को टाला जा सके। शायद यह इस बहस को पुनः शुरू करने का आधार बन सके।

> ***हाल में भारतीय राष्ट्रपति की चीन यात्रा के दौरान, भारत से चीन की अखंडता का समर्थन करवाया गया। लेकिन भारतीय पक्ष चीन से यह कहलवाने में विफल रहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। हाल ही में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिले जो यह आशंका प्रकट करते है कि भारत सरकार सिर्फ प्रतिक्रियात्मक विदेश नीति का अनुसरण करती है। परन्तु यह स्थिति बदलनी चाहिए।***

हमारे पड़ोस में स्थिति

नेपाल में स्थिति अभी भी डाँवाडोल है। हम अपने इस परंपरागत पड़ोसी देश में शांति और स्थिरता की कामना करते हैं। यह हिमालयी राष्ट्र एक बार फिर राजनीतिक कलह और तनाव से ग्रस्त है। ऐसे में हम भारत सरकार से नेपाल में राजनीतिक स्थिरता के लिए हर तरह की मदद करने की अपील करते हैं। भारत सरकार को माओवादियों द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के प्रयासों के प्रति सचेत रहना चाहिए

जैसाकि उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर से भारतीय पुजारियों को निकालने के समय किया। हम माओवादी कॉडर को सिविल समाज से जोड़ने के प्रयासों और हाल में जनता के साथ हुए अन्याय को दूर करने संबंधी प्रशासनिक तथा अन्य उपायों का भी स्वागत करते हैं। इस समूचे क्षेत्र की जनता के हित में यही है कि हिंसा में विश्वास करनेवाले लोगों के वर्चस्व को खत्म किया जाए और कानून व्यवस्था तथा शासन को और सुदृढ़ बनाया जाए। पाकिस्तान में स्थिति सामान्य से कोसों दूर है। पाकिस्तान सरकार की कथनी और करनी में अंतर बना हुआ है। दुर्भाग्य से, भारत सरकार भी पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश देने में विफल रही है कि यदि वह आतंकवादी गतिविधियों को सहायता और बढ़ावा देता रहेगा तो उसे उसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। सरकार में दृढ़ निश्चय के साहस के संकट ने भारत–पाक संबंधों के सारे पहलुओं में जटिलता ला दी हैं। हमारे अड़ियल पड़ोसी के लिए हमारी अधिकृत चेतावनी खोखली साबित हुई है क्योंकि इसमें स्पष्टता का अभाव है। यह देखकर निराशा होती है कि पाकिस्तान में फर्जी न्याय प्रक्रिया और आतंक के आकाओं को दण्डित करने में उनकी असफलता पर भारत सरकार की दबी प्रतिक्रिया के चलते हमारे प्रधानमंत्री वार्ता के लिए प्रोत्साहित हो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके गृहमंत्री बातचीत के विरुद्ध बोलते हैं। हम भाजपा वालों का मानना है कि पाक से बातचीत तब तक निरर्थक रहेगी जब तक वह अपनी भूमि से आतंकी नेटवर्क को समाप्त नहीं कर देता। हमारी यह धारणा बलवती होती जा रही है कि हमारे कूटनीतिज्ञ पाकिस्तान से बात तो करते हैं, लेकिन वह केवल अपने मतलब की बातें ही सुनता है। आतंक को तनिक भी बर्दाश्त न करने पर हमारी स्थिति भ्रम के चलते कमजोर हुई है। इससे सीमाओं पर रक्षा करने वालों और अर्द्ध–सैन्य बलों के मनोबल पर प्रभाव पड़ता है।

श्रीलंका ने आतंकवादियों को परास्त कर शांति पाने में सफलता पाई है लेकिन उन्हें अब आतंरिक रूप से विस्थापित लोगों का दिल जीतना है। हमारी नेता और लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री राजपक्षे के सामने हमारे स्थिति स्पष्ट की है। हम मांग करते हैः आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को सम्मान और आदर के साथ अच्छे से पुनर्वासित किया जाए। श्रीलंकाई संविधान के तेरहवें संशोधन से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तीसरा और महत्वपूर्ण कि इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के संदर्भ में भारतीय सुरक्षा चिंताओं को श्रीलंका सम्मान दे।

इसी तरह, चीन के प्रति हमारा रवैया भ्रांति को बढ़ाने का रहा है। हाल में भारतीय राष्ट्रपति की चीन यात्रा के दौरान, भारत से चीन की अखंडता का समर्थन करवाया गया। लेकिन भारतीय पक्ष चीन से यह कहलवाने में विफल रहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। हाल ही में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिले जो यह आशंका प्रकट करते है कि भारत सरकार सिर्फ प्रतिक्रियात्मक विदेश नीति का अनुसरण करती है। परन्तु यह स्थिति बदलनी चाहिए।

> ***यूपीए सरकार अफजल गुरु को फाँसी पर लटकाए जाने के बाद की कानून–व्यवस्था की स्थिति के बारे में अधिक चिंतित दिखती है, न कि सींखचों के पीछे उसे रखे जाने के कारणों के बारे में। यह ऐसी सरकार है, जो कानून का पालन करनेवाले लोगों के जीवन की बजाय हमारे खिलाफ युद्ध छेड़नेवाले एक खतरनाक अपराधी की मौत के बारे में अधिक चिंतित है!***

भारत-अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी

भारत–अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर काफी कुछ कहा गया है। भाजपा ऐसे किसी भी कदम का स्वागत करती हैं जिससे परस्पर हितों की रक्षा और एक–दूसरे की चिंताओं को समझने के आधार पर रिश्ते मजबूत होते हों। जबकि हम यह मानते हैं कि परस्पर हितों और समानता पर आधारित भारत–अमेरिका रणनीतिक संबंधों से काफी लाभ हो सकता है, उसी समय ऐसा लगता है कि यूपीए सरकार हमारे राष्ट्रीय हितों की कीमत पर अमेरिका की बंधक बनी हुई है। वास्तव में, भारत–अमेरिकी सम्बन्ध अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमेरिकी हितों को बढ़ाने, इसी तरह अफगानिस्तान में पाकिस्तान हितों को बढ़ाने का आवरण बने हैं; इसके अलावा इस्लामाबाद की अनर्गल मांगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत–अमेरिकी संबंधों को परस्पर हितों और भारत के रणनीतिक हितों के नए स्तर पर ले जाने में सफलता पाई थी। एनडीए सरकार के समय हुए लाभों को यूपीए की दब्बू सरकार ने यूं ही खो दिया, जोकि अमेरिका से बदले में समान लाभों को पाए बगैर झुकने को तैयार है। उदाहरण के लिए, परमाणु दायित्व विधेयक के प्रारूप को देखकर हैरानी होती है कि कैसे उसमें हमारे राष्ट्रीय हितों को ताक में रखकर अमेरिकी व्यवसायियों के हितों की रक्षा की गई है; उससे ज्यादा यह शोचनीय है कि इसमें भारतीय जीवन की कीमत को सस्ते दामों में आंका गया है।

साथ ही हम सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि

भारत के लोग कभी भी अमेरिका से ऐसे सौदे या समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, लचीलेपन और इसकी विदेश नीति में कूटनीतिक जोड़तोड़ की गुंजाइश को तिलांजलि दे दी जाए।

भोपाल गैस त्रासदी पर फैसला

यहां यह दोहराना अप्रासंगिक नहीं होगा कि भाजपा परमाणु दायित्व विधेयक का कड़ा विरोध करती है। भोपाल गैस त्रासदी पर हाल के फैसले के बाद, इस तरह के कानून का खतरा और स्पष्ट हो गया है। सीबीआई के पूर्व अधिकारी बी.आर. लाल ने रहस्योद्घाटन किया कि किस तरह तत्कालीन केंद्र सरकार ने यूनियन कार्बाइड प्रबंधन, खासतौर पर कंपनी के भगोड़े सीईओ वारेन ऐंडरसन को बचाने की कोशिश की थी। यह इस बात की ताजा मिसाल है कि किस तरह रात–दिन आम आदमी की कसम खानेवाले लोग उसी की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी का फैसला हमारी न्यायिक प्रणाली द्वारा किया गया क्रूर मजाक है। भाजपा मांग करती है कि सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहे। भोपाल इस बात की मिसाल है कि किस तरह हमारी न्यायिक प्रणाली की अंतर्निहित कमजोरी के कारण दोषी बरी हो जाते हैं। भोपाल ने एक बार फिर समूचे राष्ट्र के सम्मुख दोहराया है कि कैसे कांग्रेसी शासक समय–समय पर अपने निजी और राजनीतिक हितों के लिए, लोगों के हितों से समझौता करते रहे हैं।

आतंकवाद

आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर आतंकवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कानूनी भाषा में कहें तो कसाब की किस्मत के बारे में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। अफजल गुरु को फाँसी पर लटकाने में हो रही देरी के बारे में नए रहस्योद्घाटन यूपीए सरकार की घुटने टेकने वाली नीति को ही साबित करते हैं। पूर्व गृहमंत्री द्वारा इस मामले में डाली गई बाधाओं के बारे में कुछ नई सच्चाईयां सामने आई हैं। इस आलोक में प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि वे लोगों को बार–बार दी गई गलत सूचनाओं के बारे में सफाई दें। विडंबना तो यह है कि यूपीए सरकार अफजल गुरु को फाँसी पर लटकाए जाने के बाद की कानून–व्यवस्था की स्थिति के बारे में अधिक चिंतित दिखती है, न कि सींखचों के पीछे उसे रखे जाने के कारणों के बारे में। यह ऐसी सरकार है, जो कानून का पालन करनेवाले लोगों के जीवन की बजाय हमारे खिलाफ युद्ध छेड़नेवाले एक खतरनाक अपराधी की मौत के बारे में अधिक चिंतित है!

नक्सली खतरा

इसके अलावा, हम सभी के सामने नक्सली खतरा भी गंभीर बना हुआ है। भाजपा ने बार–बार कहा है कि यदि सरकार नक्सली खतरे से निपटने के लिए कारगर कदम उठाती है तो पार्टी उसका समर्थन करेगी। लेकिन सरकार भ्रम और उलझन में दिखती है। आंतरिक सुरक्षा के प्रतिष्ठान इस खतरे को समझने में विफल दिखते हैं। हालांकि अल्प–विकसित क्षेत्रों में, खासकर जहां आदिवासी समुदाय रहते हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास की जरूरत है; लेकिन यह नक्सली खतरे के खत्म हो जाने की गारंटी नहीं है। जहां नक्सली राज्य सरकारों की सत्ता को खुली चुनौती देते रहे हैं या दे रहे हैं, वहीं यूपीए सरकार के कुछ मंत्री उनसे सहानुभूति दिखा रहे हैं। दृष्टिकोण में यह दुविधा गलत संदेश दे रही है। एक ओर जहां इन कदमों से पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों का मनोबल गिर रहा है, वहीं दूसरी ओर नक्सलियों का दुस्साहस बढ़ रहा है। मैं यूपीए को चेतावनी देता हूं कि वह नक्सलियों और उनकी हिंसा के शिकार लोगों के प्रति असंवेदनशीलता दिखाकर आग से खेल रही है। इस संदर्भ में सरकार के रवैए से इस मुद्दे पर गंभीरता का अभाव दिखता है।

> ***कांग्रेस शासन में कृषि की उपेक्षा का लम्बा इतिहास रहा है। कृषि, पानी और ग्रामीण विकास उसके लिए नारेबाजी तक सीमित रहे हैं। एक ओर किसानों को उनके उत्पादों के पर्याप्त दाम नहीं दिए गए तो दूसरी और उपभोक्ताओं को ऊंचे दाम देने पड़ते हैं।***

हम दंतेवाड़ा में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या और मिदनापुर जिले में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पर हमले से भी विशेष रूप से चिंतित हैं। दुर्भाग्य से मानवाधिकारों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पैरोकार उस समय खामोश रहते हैं, जब नक्सली सैकड़ों निर्दोष लोगों के जीने के बुनियादी अधिकार का हनन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से अपील करती है कि वे मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा करने में पक्षपात न करें। नक्सलियों की क्रूरता और घोर अनाचार–अन्याय के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए मैं अपनी राज्य इकाइयों से उन जगहों पर 'जन–सुनवाई' सरीखे कार्यक्रम आयोजित करने की अपील करता हूं, जहां नक्सली बर्बरता के शिकार लोग जनता के साथ अपनी पीड़ा बांट सकें। नक्सलियों को प्रबुद्ध वर्ग और समाज के कुछ तबकों में इसलिए समर्थन हासिल है, क्योंकि ये तबके आम

तौर पर नक्सली गतिविधियों के इन पहलुओं से अनजान हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम आम जनता को इस बारे में बताएं।

दलितों से कांग्रेसी विश्वासघात

हाल ही में हरियाणा में हुए सामाजिक झगड़ों की घटनाएं चिंताजनक हैं। मिर्चीपुर में हुई घटनाएं अत्यधिक निंदनीय हैं। वहां के पीड़ित अभी भी दिल्ली में भय के साये में रह रहे हैं। हरियाणा की कांग्रेस सरकार असंवेदनशील बनी हुई है और प्रभावित परिवारों को उनके घरों को लौटने में आश्वस्त करने में भी असफल हुई है।

सी.बी.आई.-कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्टिमिडेशन

जब राष्ट्र आंतरिक सुरक्षा की अनेकविध खतरों का सामना कर रहा है तब सरकार सी.बी.आई. को अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम करने को बाध्य कर रही है। सी.बी.आई. डराने का हथियार बन गई है। भोपाल त्रासदी के संदर्भ में इसके एक अधिकारी द्वारा किए गए ताजे रहस्योद्घाटन ने हमारे इस भय की पुष्टि की है कि कांग्रेस इस रणनीति को अपनाकर अपने विरोधियों को झुकाती है या कानून से अपने परिचितों– क्वात्रोची और एंडरसन को कानून की पकड़ से आजाद कराती है। इससे सिद्ध होता है कि उनकी प्रतिबद्धता भारत के लोगों के प्रति नहीं हैं। भाजपा सी.बी.आई. के दुरुपयोग की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की जोरदार मांग करती हैं।

जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है तो कीमतें सदैव आकाश छूने लगती हैं। भाजपा कीमतों में इस बढ़ोतरी की निंदा करती है और यूपीए को चेतावनी देती है कि महंगाई के खिलाफ लोगों का बढ़ता गुस्सा उसकी सरकार के जनादेश को जल्दी ही जलाकर खाक कर देगा।

कृषि क्षेत्र की घोर उपेक्षा

कांग्रेस शासन में कृषि की उपेक्षा का लम्बा इतिहास रहा है। कृषि, पानी और ग्रामीण विकास उसके लिए नारेबाजी तक सीमित रहे हैं। एक ओर किसानों को उनके उत्पादों के पर्याप्त दाम नहीं दिए गए तो दूसरी और उपभोक्ताओं को ऊंचे दाम देने पड़ते हैं। हाल ही में कांग्रेस शासित प्रदेशों और उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद समय पर नहीं हो पाई, अतः नतीजा यह हुआ कि किसानों को उनकी नई फसल को बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों और बाजारों में पर्याप्त भण्डारण सुविधाओं के अभाव ने इसे और बढ़ा दिया। महत्वपूर्ण बाजार हस्तक्षेप रणनीति का भी अभाव रहा। मैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि बाजार में जब भी नई फसल आए तो वे सार्वजनिक खरीदी केंद्रों पर जाएं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि किसान को बगैर भ्रष्टाचार और परेशानी के उनको उनका हक मिले।

प्रधानमंत्री अक्सर हरित क्रांति की बात करते हैं। लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने की न तो उन्होंने कोई इच्छा दिखाई है और न ही कोई ब्लूप्रिंट सामने रखा है। कृषि मंत्री ने स्वीकारा है कि 58,000 करोड़ रुपये मूल्य का खाद्यान्न प्रति वर्ष सड़ जाता है। मैं कृषि विकास के बारे में अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। पानी कृषि विकास की कुंजी है। भाजपा मांग करती है कि सिंचाई को समवर्ती सूची में रखा जाए ताकि बाढ़ और सूखे से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। भारत में यह दयनीय है कि किसानों को अच्छी किस्म का बीज आसानी से नहीं मिलता। सिर्फ कुछ दिन पहले ही जोधपुर में किसानों को लाठियां इसलिए सहनी पड़ीं क्योंकि वे अच्छी किस्म के बीजों की मांग कर रहे थे। सरकार को कृषि वित्त जैसे मुद्दों की बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। मैं आपका आश्वस्त करना चाहता हूं कि भाजपा शासित राज्यों में हमने समग्र कृषि विकास रणनीति बनाई है जिसके चलते गुजरात, बिहार और छत्तीसगढ़ तथा अन्य भाजपा शासित प्रदेशों में अच्छे नतीजे सामने आए हैं।

मणिपुर की स्थिति

आप सभी लोगों की तरह मैं भी मणिपुर की स्थिति से बहुत चिंतित हूं। पिछले 70 दिनों से मणिपुर की सड़कें बंद हैं और वहां रह रहे हमारे बंधुओं का जीना दूभर हो गया है। मणिपुर सरकार ने मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स (एडीसी) के चुनाव कराने का फैसला किया था। इसके विरोध में नगा छात्र संगठनों और कुछ नगा राष्ट्रवादी सिविल सोसाइटी संगठनों ने 11 अप्रैल से मणिपुर जानेवाली सड़कें अवरुद्ध कर दीं। हमारा मानना है कि नगा नेता थुइंगलेंग मुवैया ने पहले मणिपुर में अपने गांव जाने का ऐलान कर और फिर बाद में सड़कों को अवरुद्ध करने की राजनीति में शामिल होकर खतरनाक खेल खेला है। यह बेहद खेदजनक है कि नगा समूहों को समूचे मणिपुर राज्य को बंधक बनाने की छूट दे दी गई है और केंद्र सरकार मूक–दर्शक बनी हुई मणिपुर के लोगों की दयनीय स्थिति को चुपचाप देख रही है। जहां नगाओं की समुचित मांगों पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, वहीं लोकतांत्रिक राज्यतंत्र में अवरोध की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है।

हम पूरी तरह मणिपुर की जनता के साथ हैं और केंद्र

सरकार से मांग करते हैं कि वह उनके साथ उसी तरह की संवेदनशीलता दिखाए, जिस तरह की संवेदनशीलता वह कश्मीर घाटी की जनता के साथ दिखाती है। भाजपा केंद्र सरकार से यह भी मांग करती है कि वह वैकल्पिक सड़कें खोलने और हवाई जहाज से खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं गिराने जैसी कार्रवाई कर यह स्पष्ट संदेश दे कि राष्ट्र की सहानुभूति मणिपुर की जनता के साथ है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री को इंफाल जाकर अपनी सरकार और राष्ट्र के दूसरे हिस्सों की जनता की ओर से चिंता व्यक्त करनी चाहिए। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर उसने स्थिति को और अधिक बिगड़ने दिया तो दोनों राज्यों के अलगाववादी नेता जनता के गुस्से को पूरी तरह भुनाएंगे जिससे अशांति तथा हिंसा को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। मैं महानगरों में रहनेवाले अपने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से खासतौर पर अपील करता हूं कि वे अपने शहर में मणिपुरी विद्यार्थियों और युवाओं से मिलें और उन्हें बताएं कि देश के दूसरे हिस्सों की जनता उनके साथ है। भाजपा डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि 23 जून को 'मणिपुर एकता दिवस' के रूप में मनाएगी, सभी राज्यों की राजधानियों में हमारे कार्यकर्ता उस दिन उपवास करेंगे और एकदिवसीय धरना देंगे।

महंगाई के विरुद्ध लड़ाई

मित्रों, मुझे खुशी है कि 21 अप्रैल को संसद् तक मार्च कर हमने बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर जनता को संगठित किया था और उसकी पीड़ा को सफलतापूर्वक अभिव्यक्ति दी थी। आसमान छूती महंगाई ऐसा मुद्दा है, जिसके बारे में लोगों को जागरूक बनाने की जरूरत है। मुझे प्रसन्नता है कि हमने यह काम कई तरीकों से किया। हमने लोगों को बताया कि यह महंगाई गलत आर्थिक नीतियों और वित्तीय कुप्रबंधन का नतीजा है। हमने यह भी साबित किया कि सरकार ने असंवेदनशीलता दिखाते हुए लाखों टन गेहूं सड़ने दिया गया। हम आलू उत्पादकों की दयनीय स्थिति को भी सफलतापूर्वक सामने लाए। लेकिन दुर्भाग्य से यह सरकार लोगों की परेशानियों के प्रति इतनी उदासीन है कि उसने उनकी तंगहाली में और भी इजाफा कर दिया। हाल में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी घाव पर नमक छिड़कने की दूसरी मिसाल है। याद रहे जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है तो कीमतें सदैव आकाश छूने लगती हैं। भाजपा कीमतों में इस बढ़ोतरी की निंदा करती है और यूपीए को चेतावनी देती है कि महंगाई के खिलाफ लोगों का बढ़ता गुस्सा उसकी सरकार के जनादेश को जल्दी ही जलाकर खाक कर देगा।

इस मौके पर मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि कीमतों में वृद्धि के खिलाफ हमारा राष्ट्रीय अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। महंगाई के विरुद्ध हमारे ज्ञापन पर इकट्ठे किए गए करोड़ों हस्ताक्षर हम संसद् के मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रपति को सौंपेंगे।

समाज के हर वर्ग में हमारे समर्थक हैं। करोड़ों देशवासियों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। वे चाहते हैं, भाजपा अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखे। छिद्रान्वेषी होना आसान है। जो लोग दूसरों से भिन्न होने का अपना प्रयास छोड़ देते हैं, उनमें आत्मबल और साहस का अभाव होता है। हम सभी आशावादी हैं, लेकिन हमारी आशावादिता महज खोखली नहीं होनी चाहिए। हमें अपने पथ का निर्माण करना होगा, ताकि भाजपा अपने ऐतिहासिक मिशन को पूरा कर सके।

सुराज संकल्प

अब मैं अन्य कुछ मोर्चों पर पार्टी की नई पहलों और प्रगति की चर्चा करूंगा। इंदौर में हमने सुशासन पर और बल देने पर जोर दिया था। भाजपा देश की पहली पार्टी है, जिसने एक सुशासन प्रकोष्ठ की स्थापना की है। इस प्रकोष्ठ का काम बेहतर कामकाज के लिए हमारी सरकारों को हर तरह की सहायता उपलब्ध कराना है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर पार्रिकर इस प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हाल में इस प्रकोष्ठ ने मुंबई में सफलतापूर्वक 'सुराज संकल्प सम्मेलन' का आयोजन किया। इस सभा में हमने जनोन्मुखी और सुशासन का फिर संकल्प लिया। भाजपा के आठ राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों एवं उप–मुख्यमंत्रियों, 60 मंत्रियों और केंद्र तथा प्रदेशों के कुछ वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं ने रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी में आयोजित इस दो–दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया। यह अपने तरह का पहला सम्मेलन था, जिसमें लिया गया सुराज संकल्प यह दर्शाता है कि हम औरों से भिन्न शासन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि इस सभा से कई दिन पहले एक अग्रणी टीवी चैनल ने देश के सर्वोत्तम पांच मुख्यमंत्रियों में भाजपा के तीन मुख्यमंत्रियों को शामिल किया था। मैं सभी भाजपा सरकारों को उनकी सफलता के लिए बधाई देता हूं और सुराज संकल्प के क्रियान्वयन में उनकी सफलता की कामना करता हूं। यहां मैं उन कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्णन करना चाहता हूं जो हमारे शासित राज्यों में हासिल की गई हैं। देश में कृषि वृद्धि 2ः है। बिहार ने कृषि वृद्धि में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त कर देश को

सुखद रूप से चकित कर दिया है। 2002 से 2009 के बीच गुजरात में कृषि वृद्धि 9.6% लगातार बनी रही है। कर्नाटक ने सफलतापूर्वक ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन आयोजित किया जिसने राज्य के प्रति निवेशकों का ध्यान आकृष्ट किया है। पर्यावरण चेतना के युग में हमारी हिमाचल सरकार ने अनेक कदम उठाते हुए कार्बन प्वाइंट हासिल किए हैं जो उनके प्रभावी प्रबंधन को प्रमाणित करते हैं। छत्तीसगढ़ ने तकनीक का प्रभावी रूप से प्रयोग करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इतना प्रामाणिक बनाया है कि यह कुशलता का पर्याय बनी है।

हमारा मानना है कि सुशासन केवल सार्वजनिक प्रशासन तक सीमित नहीं होता। यह हमारे पार्टी मामलों के प्रबंध में भी सहायक होता है। इसके लिए हमें अपने मानव संसाधन विकास प्रक्रिया को सक्रिय करना होगा। इस दिशा में हमारे प्रशिक्षण प्रकोष्ठ ने पहले ही पूरी लगन से काम करना शुरू कर दिया है। इस बैठक में प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के अब तक के कार्यों और भावी योजनाओं के बारे में एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। प्रकोष्ठ जुलाई 2010 से पार्टी कैडर के लिए एक तीन वर्षीय सुगठित प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत करेगा। चालू वर्ष में 10,000 पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की हमारी महत्वाकांक्षी योजना है। प्रकोष्ठ विजयादशमी से ई–ट्रेनिंग की भी शुरूआत करेगा। इसी तरह अंत्योदय के मोर्चे पर हमने एक विनम्र शुरुआत की है। समाज–सेवा को राजनीतिक कार्यों से जोड़ने की यह हमारी अनूठी पहल है। इसके अतिरिक्त, पार्टी के गैर–सदस्य शुभेच्छुओं के लिए बनाए गए मंच 'फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी' ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है।

इस सत्र में अंत्योदय और 'फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी' पर रिपोर्टें पेश की जाएंगी। इसके अलावा हमने जीएसटी के मुद्दे पर अपने राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की थी। भाजपा शासित राज्यों के सभी जनजाति मामलों के मंत्रियों की बैठक के बाद गठित जनजाति मामलों हेतु एक विशेष समिति की रिपोर्ट को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

श्री भगतसिंह कोशियारी के नेतृत्व में गठित एक समिति ने उत्तर क्षेत्र की हमारी सीमा सुरक्षा के बारे में जो रिपोर्ट तैयार की है, वह भी यहां प्रस्तुत की जाएगी। मित्रो, पार्टी की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद पिछले छह महीनों में मैंने चेन्नई से लेकर चंडीगढ़ और गुवाहाटी से लेकर गोवा तक पूरे देश का दौरा किया है।

मैं न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं से मिला हूं, बल्कि कई अभिमत निर्माण करने वालों और प्रमुख नागरिकों से भी मैंने संवाद किया है। भाजपा के लिए हर जगह शुभेच्छा व्यक्त की जा रही है। समाज के हर वर्ग में हमारे समर्थक हैं। करोड़ों देशवासियों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। वे चाहते हैं, भाजपा अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखे। छिद्रान्वेषी होना आसान है। जो लोग दूसरों से भिन्न होने का अपना प्रयास छोड़ देते हैं, उनमें आत्मबल और साहस का अभाव होता है। हम सभी आशावादी हैं, लेकिन हमारी आशावादिता महज खोखली नहीं होनी चाहिए।

हमें अपने पथ का निर्माण करना होगा, ताकि भाजपा अपने ऐतिहासिक मिशन को पूरा कर सके। लगभग 35 वर्ष पहले दिल्ली ने 'सिंहासन खाली करो कि जनता आई है' का नारा सुना था। हालांकि यह नारा दिल्ली में गूंजा था, लेकिन उसकी उत्पत्ति पटना में जेपी आंदोलन से हुई थी। पैंतीस साल के बाद, यदि हम अपने चारों ओर देखें तो हम एक भिन्न किस्म की इमर्जेंसी पाएंगे, जिससे केंद्र में कुशासन पैदा हुआ है। एक बार फिर हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और यूपीए सरकार को चेतावनी देनी होगी कि या तो अच्छा शासन दो या फिर गद्दी छोड़ दो। हमें इस लंबे संघर्ष के लिए अपने को तैयार रखना होगा।

हमें अपने पथ का निर्माण करना होगा, ताकि भाजपा अपने ऐतिहासिक मिशन को पूरा कर सके। लगभग 35 वर्ष पहले दिल्ली ने 'सिंहासन खाली करो कि जनता आई है' का नारा सुना था। हालांकि यह नारा दिल्ली में गूंजा था, लेकिन उसकी उत्पत्ति पटना में जेपी आंदोलन से हुई थी। पैंतीस साल के बाद, यदि हम अपने चारों ओर देखें तो हम एक भिन्न किस्म की इमर्जेंसी पाएंगे, जिससे केंद्र में कुशासन पैदा हुआ है। एक बार फिर हमें यूपीए सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी होगी।

बिहार ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जहां राजनीतिक इच्छाशक्ति हो वहां अच्छा कर दिखाने की संभावना रहती है–एनडीए शासन के दौरान बिहार का चहुंमुखी विकास ऐतिहासिक, बेमिसाल और चमत्कारपूर्ण है। यह अनुकरणीय है। एक सुखी और समृद्ध भारत के लिए हमें सुराज और सुशासन की जरूरत है। जिन राज्यों में, हम सत्ता में हैं वहां हमने साबित किया है कि हम इन लक्ष्यों के लिए सक्रिय है। हम लोगों को बताएंगे कि कैसे कांग्रेस विनाश करती है जबकि भाजपा विकास लाती है।

भारत माता की जय! ■

माओवाद के खिलाफ एक स्वर से आवाज उठाने की जरूरत

माओवादी गतिविधियों के प्रसार पर प्रस्ताव

राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अर्जुन मुण्डा ने माओवादी गतिविधियों के प्रसार पर प्रस्ताव रखा, तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह एवं राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। हम यहां प्रस्ताव का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं।

Hkkरत में माओवादी गतिविधियों के प्रभाव क्षेत्र, भौगोलिक विस्तार और इसकी तीव्रता दोनों में बढोतरी हुई है। वर्तमान में, देश के लगभग–210 जिलों में माओवादियों की मौजूदगी है। इन 210 जिलो में से 90 जिलों में इनकी मौजूदगी प्रभावी है, माओवाद एक सशस्त्र आंदोलन है। इस आंदोलन का उद्देश्य भारतीय राज्य पर सशस्त्र संघर्ष से कब्जा करना है। माओवादियों का विश्वास है कि सता बंदूक की नोक से है। उनका उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र के स्थान पर तानाशाही विचार धारा की स्थापना करना है। इस वैचारिक तानाशाही में, राजनीतिक स्वतंत्रता, वैयक्तिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र प्रेस, स्वतंत्र न्याय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव या उद्यमिता के किसी भी रूप के लिए कोई स्थान नहीं है। माओवादी पहले से ही गुरिल्ला सेना स्थापित करने की प्रक्रिया में है। वे कुछ निश्चित ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करना चाहते है। इन ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यम से अंततः वे कुछ शहरों को आवृत करना चाहते हैं। इनमें से कुछ क्षेत्र माओवादी नियंत्रण के अलग–थलग पड़े द्वीप बन गए है। यहां के लोग जोर जबरदस्ती द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। व्यापारी,ठेकेदार, रोजगार,शिक्षक और किसान इन सभी को माओवादी जोर जबरदस्ती के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं।

माओवादियों की घोषणा है कि " शत्रु का (सरकार का) शस्त्रागार हमारा शस्त्रागार है। सुरक्षा बलों और मासूम नागरिकों की हत्या और नरसंहार जारी है माओवादी आंदोलन गरीबी पर पनप रहा है, इन क्षेत्रों में गरीबी को बनाए रखने में उनकी गहरी दिलचस्पी है। सड़क, स्कूल, चिकित्सालय या पंचायत स्थापना के नागरिक प्रशासन का वे विरोध करते हैं। यहाँ तक कि राज्य के बनी बनाई इमारतों, जो कि लोगों द्वारा उपयोग की जाती है, नष्ट की जा रही है। छत्तीसगढ़ और झारखण्ड में हाल ही में सुरक्षा बलों और निरीह नागरिकों, दोनों पर आक्रमण किया गया।

माओवादियों की भर्ती नाम मात्र के मासिक वेतन पर की जाती है। इनके अलावा सरकारी सेनाओं से विदेशी हथियार और युद्ध सामग्री छीनी रही है। माओवादियों की घोषणा है कि " शत्रु का (सरकार का) शस्त्रागार हमारा शस्त्रागार है। सुरक्षा बलों और मासूम नागरिकों की हत्या और नरसंहार जारी है माओवादी आंदोलन गरीबी पर पनप रहा है, इन क्षेत्रों में गरीबी को बनाए रखने में उनकी गहरी दिलचस्पी है। सड़क, स्कूल, चिकित्सालय या पंचायत स्थापना के नागरिक प्रशासन का वे विरोध करते हैं। यहाँ तक कि राज्य के बनी बनाई इमारतों, जो कि लोगों द्वारा उपयोग की जाती है, नष्ट की जा रही है। छत्तीसगढ़ और झारखण्ड में हाल ही में सुरक्षा बलों और निरीह नागरिकों, दोनों पर आक्रमण किया गया। लूट खसोट के माध्यम से प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में धन संग्रह किया जा रहा है। माओवादियों ने विभिन्न संसाधन जुटाने के लिए अफीम की खेती का सहारा तक लिया है। गरीबी के नाम पर माओवादी पनप रहे हैं। इनका उद्देश्य लोकतंत्र को समाप्त करना है।

देश के जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी और पिछड़ेपन का फायदा उठाते हैं माओवादी भोले–भाले जनजातियों को भड़का कर उन्हें सुरक्षा बलों और मासूम नागरिकों पर आक्रमण के समय उन्हें अपनी ढाल के रूप में उपयोग करते है। यह

दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि नागरिक प्रशासन के प्रवेश का यहां तक कि विकास के लिए इन क्षेत्रों में प्रशासन पंहुचने का प्रतिरोध करते हैं।

माओवादी आंदोलन का मुख्य संपोषण उनके वैचारिक रूप से प्रशिक्षित माओवादी है। वे निश्चित रूप से स्थानीय निवासी नहीं हैं। उनमें से कुछ प. बंगाल और आंध्रप्रदेश से भाग करके आए हैं। वैचारिक रूप से प्रशिक्षित और प्रतिबद्ध माओवादी अपनी संवर्ग को पोषित करते हैं वे माओवादियों की सैनिक टुकड़ी विकसित करने में सफल हो चुके हैं, जोकि उनकी गुरिल्ला सेना है, बड़ी संख्या में लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। वस्तुतः विचारहीन और शोषित जनजातियों से यह सेना बनाई है। इस भूमिहीन आंदोलन में शहरी चेहरे भी शामिल होकर उभर रहे हैं। जो मानव अधिकार मुखौटाधारी है। वे माओवादी आंदोलन का प्रतिनिधि बनकर जनता के संचार माध्यम की तरह कार्य करते हैं। वास्तव में ये लोग (माओवादी) मानव अधिकार का नाम बदनाम कर रहे हैं। वे माओवादी द्वारा की गई हिंसा के उपयोग को तर्कसंगत बनाते हैं।

माओवादियों की सैनिक गतिविधियों से, समन्वय और मजबूत सुरक्षा कार्रवाई से निपटना चाहिए। जहां विकास की गतिविधियों के कार्यक्रम चलाना संभव हो, उन्हे सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। जहां माओवादी नियंत्रण को समाप्त किए बिना विकास कार्यक्रम को संचालित करना संभव नहीं है, वहां माओवादी नियंत्रण को समाप्त करके वहां विकास के कार्यक्रम संचालित किए जाएं। यहां माओवादियों और उनके आंदोलन, जिसका उद्देश्य भारतीय के संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करना और उखाड़ फेंकना है। ऐसे आंदोलन के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़ने की भी आवश्यकता है।

आज नेपाल की सीमा से तेलंगाना तक एक पृथक माओवादी गलियारा अस्तित्व में है उनकी गतिविधियों को सुरक्षा बलों द्वारा एक राज्य के भीतर से उन्हें राज्यों की सीमाओं तक धकेल दिया गया है। राजनीतिक क्षेत्र के कई लोगों ने तर्क देकर कि माओवाद गरीबी और विकास की कमी की सामाजिक प्रतिक्रिया हो। यह सत्य है कि माओवाद गरीबी के कारण बढ़ा है। यदि असंभव नहीं है तो यह भी सत्य है कि माओवादी नियंत्रित क्षेत्रों में विकास कार्य करना कठिन कार्य है। स्वयं माओवादी द्वारा इन दूरदराज के क्षेत्रों में गरीबी को निरंतर बनाए रखने में उनकी दिलचस्पी है ताकि उनकी अपनी राजनीतिक गतिविधियों में वृद्धि हो सके। माओवादी द्वारा अपनाई गई कुटिल चालों ने भारत की गुप्तचर संस्थाओं को इन इलाकों में असहाय बना दिया है। माओवादी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के ट्रैप हो जाने के डर से इस्तेमाल करने से बचते हैं। उनके शीर्ष नेता भारत के लोगों बीच में खो जाते है और उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, जो सैनिक अभियानों के प्रभारी हैं, वे ग्रामीण क्षेत्रों से अभियान चलाते हैं जहां नागरिकों का नियंत्रण धीरे–धीरे कमजोर हो चुका है।

संप्रग–1 ने माओवादी के खिलाफ एक अवसर खो दिया था। गृह मंत्रालय, संप्रग–1 अधीन, समस्या के विकराल रूप और उसके संभावित हल को महसूस करने और इसके प्रतिवाद में असफल रहा। संप्रग–2 के अधीन प्रारंभिक तौर पर माओवादी समस्या की विकरालता की समझ के बारे में कुछ सकारात्मक संकेत दिए, परंतु कॉंग्रेस और संप्रग की राजनीति के चलते समूचे राष्ट्र का उत्साह समाप्त हो गया है। संप्रग–1 के दौरान, आंध्रप्रदेश और झारखंड में चुनाव में अनुकूलता के लिए कॉंग्रेस ने माओवादियों के साथ राजनीतिक सांठगांठ की। जब छत्तीसगढ जैसे राज्यों ने माओवादी आतंक से निपटने के लिए कुछ नवाचारी कार्यकम चलाए तो कॉंग्रेस ने इसका विरोध किया। संप्रग–2 के कार्यकाल के दौरान राज्यों और केन्द्र के बीच समन्वय के प्रारंभिक संकेत दिखाई दिए। समूचे राष्ट्र का मन माओवादी के खिलाफ समन्वय की नीति के अनुकूल था। अनेक झटकों के वाबजूद जब राष्ट्रीय विपक्ष माओवादी हिंसा के खिलाफ लडने के लिए सरकार के साथ खड़ा था, तभी संप्रग में उत्पन हुये मतभेदों ने सरकार की माओवादी के प्रति के रूझान को डगमगाना शुरू कर दिया।

कॉंग्रेस के नेताओं ने खुले तौर पर गृह मंत्रालय और भारत सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिये। पश्चिम बंगाल में, संप्रग की सहयोगी तृणमूल कॉंग्रेस ने माओवादियों के साथ चुनाव और वोट बैंक की राजनीति की खातिर दोस्ती निभाना प्रारंभ कर दी। मंत्रिमंडल के मतभेद जनता के बीच तक आ पहुचे। गृहमंत्रालय माओवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए एक व्यापक जनादेश चाहता था। मंत्रिमंडल केवल सीमित जनादेश देने का इच्छुक था। गृहमंत्रालय सर्वेक्षण के लिए वायु सेना का उपयोग करना चाहता था, रक्षा मंत्री ने सहयोग नहीं दिया। जहाँ एक ओर माओवादी भौगोलिक पहुंच और अपने अभियानों दोनों का विस्तार कर रहे है, संप्रग का माओवादी के खिलाफ अभियान इस निरर्थक बहस के दलदल में फंसा हुआ है कि माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा

शेष पृष्ठ 28 पर

संप्रग (II) का एक वर्ष - निराशा और असफलता का वर्ष

राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री अनंत कुमार ने संप्रग– II के एक वर्ष के कार्यकाल पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन म.प्र. के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने किया। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

संप्रग II के असंतोषजनक रिकार्ड की तरह ही संप्रग II के कार्यकाल का प्रथम वर्ष उदासीनता और गैर उपलब्धियों भरा रहा। अराजकता, भ्रम की स्थिति, सांठगांठ, भ्रष्टाचार, विसंगति और अव्यवस्था ही संप्रग की इस वर्ष की अलग तरह की विशेषताऐं रही। घोषणाएं अनेक हुई किन्तु कार्य नाम मात्र का रहा। इस सरकार की एक मात्र सफलता बस यही रही कि यह अपने सहयोगियों से भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कुटिल समझौते कर तथा विपक्ष के कुछ आलोचनीय पक्षों को अनैतिक ढ़ग से नियंत्रित कर कमजोर बहुमत के सहारे लोकसभा में तथा राज्यसभा में अल्पमत में रहते हुए भी सरकार बचाने में कामयाब रही।

महंगाई

मई 2009, में सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार के लिए 100 दिनों का एजेन्डा तय किया। महंगाई को रोकना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। 365 दिन व्यतीत होने के बाबजूद मुद्रास्फीति के नीचे आने के कोई संकेत दिखाई नहीं देते। आम आदमी महंगाई की मार से निरंतर पीड़ित है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक दोहरे अंकों को छूने को है जबकि खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति 17–19 प्रतिशत पर है। महंगाई को बढ़ते हुए तीन वर्ष हो रहे हैं और यह स्थिति तब है जब सरकार की कमान डा. मनमोहन सिंह जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने थाम रखी है। खाद्य पदार्थो की महंगाई के लिए संप्रग सरकार द्वारा खाद्य कुप्रबंध सीधे तौर पर जिम्मेवार है।

किसानों और आम आदमी की कीमत पर सरकार ने बिचौलियों के हितों का सरंक्षण किया है। वस्तु विनिमय और खाद्य अर्थव्यवस्था अनाजों और अर्थव्यवस्था उत्पादों से सम्बंधित आयात और निर्यात नीतियों में भारी अनियमितता इस बात की हैं कि सरकार ने दलालों और बिचौलियों का संरक्षण किया। सरकारी अनाज गोदामों में जहाँ एक ओर अनाज सड़ रहा है वहीं दूसरी ओर किफायती और वाजिब दाम पर अनाज को बाजार में उपलब्ध न करवा पाने ने इस समस्या की विकरालता को बनाये रखा है।

यह अत्यन्त संतोष का विषय है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में राजग शासन के दौरान मंहगाई नियंत्रण में रही और बाजार में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। उस शासन के दौरान किसान और उपभोक्ता दोनों ही प्रसन्न थे। कई प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं के बावजूद की गई। खाद्य अर्थतंत्र के ठोस प्रबंधन को उपलब्ध कराया गया। कांग्रेसनीत केन्द्रीय सरकार अपनी कमजोर इच्छा शक्ति के कारण मंहगाई को नियंत्रित नहीं कर सकी। यह सरकार राष्ट्र को यह समझाने में असमर्थ रही कि राजग सरकार द्वारा छोड़ी गई अधिकता वाली खाद्य अर्थव्यवस्था, कैसे कमी और मंहगाई की अर्थव्यवस्था बन गई। अर्जित खाद्य अर्थतंत्र की समृद्धि, कमी और मंहगाई की अर्थव्यवस्था बन गयी।

कृषि और ढांचागत संरचना की असंतोषजनक दशा

ढांचागत संरचना और कृषि की दशा बहुत असंतोषजनक है। राजग के कार्यकाल में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व में राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम एक महान सफलता थी। वस्तुतः, राजग के कार्यकाल के दौरान किए गए

किसानों और आम आदमी की कीमत पर सरकार ने बिचौलियों के हितों का सरंक्षण किया है। वस्तु विनिमय और खाद्य अर्थव्यवस्था अनाजों और अर्थव्यवस्था उत्पादों से सम्बंधित आयात और निर्यात नीतियों में भारी अनियमितता इस बात की हैं कि सरकार ने दलालों और बिचौलियों का संरक्षण किया। सरकारी अनाज गोदामों में जहाँ एक ओर अनाज सड़ रहा है वहीं दूसरी ओर किफायती और वाजिब दाम पर अनाज को बाजार में उपलब्ध न करवा पाने ने इस समस्या की विकरालता को बनाये रखा है।

सुशासन के कारण में 71 प्रतिशत सफलता की दर के साथ निर्धारित लक्ष्य जोकि बढ़ कर 2004–05 में 81 प्रतिशत हो गया था। अनावश्यक विलंब, तदर्थवाद, पड़ताल की कमी और निर्णय प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, यहां तक की योजना आयोग और महालेखा नियंत्रक परीक्षक की विपरीत टिप्पणी के बावजूद संप्रग– I अपने मार्ग से भटक गया था। अब यह दावा किया जाता है कि राजग के शासन काल में प्रतिदिन 11 कि.मी. सड़क निर्माण के लक्ष्य की तुलना में संप्रग द्वारा प्रतिदिन संशोधित कर 20 कि.मी. सड़क निर्माण किया जा रहा है। यह दावा केवल कागजी है। योजना आयोग ने लक्ष्य को 20 कि.मी. से 6 कि.मी. प्रतिदिन 'संशोधित' कर दिया है। 2009 – 10 के योजना आयोग की सड़क विकास रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय 29934.67 (30,000 करोड़) करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 11608 करोड़ रूपया ही खर्च कर सका, यानी कि 40 प्रतिशत के आस पास।

जनसंख्या का लगभग 60 प्रतिशत कृषिक्षेत्र में है और उस पर निर्भर है। फिर भी यह सकल घेरलू उत्पाद में केवल 17 प्रतिशत योगदान देता है। लगातार बढ़ती हुई मंहगाई के कारण मुद्रास्फीति का प्रभाव इस क्षेत्र पर ज्यादा पड़ा है। 2009–10 में कृषि आमदनी बगैर सुधार के अत्यधिक असंतोषजनक रही।

सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्र जो विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अब गड्डमड्ड हो गया हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय स्वयं ऊर्जा क्षेत्र के प्रदर्शन पर अत्यन्न असंतुष्ट है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि 1998–2003 के समय (राजग के कार्यकाल के दौरान) ऊर्जा मंत्रालय ने 2003 के इलेक्ट्रिसिटी विधेयक को समर्थन देते हुये सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके इस क्षेत्र को ऊंचाईयों तक पहुंचाया था। संप्रग के पांच वर्ष के शासन के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय के विवरण के अनुसार जो सूचना के अधिकार तहत उपलब्ध है, ' अवसर खोने के आधे दशक' जैसा हैं, जहां सुधार प्रक्रिया के प्रोत्साहन को छोड़ दिया गया है। वही हाल संप्रग II में भी जारी है जहां ऊर्जा क्षेत्र अपना प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। वस्तुतः बिजली उत्पादन की लगातार गिरावट ने हमारे सकल घरेलू उत्पाद को पीछे धकेल दिया हैं।

हवाई यातायात आधारभूत संरचना का बहुत महत्वपूर्ण अंग है अब नित नए सबूत संप्रग 2 के अधीन एयर इंडिया की वास्तविक मृत्यु के साक्ष्य है। संप्रग I के कार्यकाल के दौरान विकसित बीमारी संप्रग II की प्रथम वर्ष के कार्यकाल में कैंसर से ग्रस्त हो गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा देश की नदियों को आपस में जोड़ने की विस्तृत योजना की गई थीं इस परियोजना द्वारा हम देश में बाढ़ एवं सूखे की समस्या पर सामान्य रूप से नियंत्रण पा सकते हैं। देश के ऊर्जा संकट का निवारण भी इस माध्यम से 6000 मेगावॉट की पनबिजली का उत्पादन करके प्राप्त कर सकते है। संप्रग सरकार द्वारा इस परियोजना को समाप्त किया गया है। 2007 में इंडिया एयर लाइन्स और एयर इंडिया का विलय किया गया था और यह सलाहकार की रिपोर्ट पर आधारित था। हमें बताया गया था कि इस नए विलय से प्रतिवर्ष 500 करोड़ की बचत होगी। किसी भी टर्नओवर को किनारे रखते हुए विलय के बाद वर्त्तमान में घाटा बढ़कर 7200 करोड़ रू. का हो गया और अगले वर्ष 10,000 करोड़ रू. के लगभग हो जायेगा। हम बार– बार दुर्घटनाओं, बेवजह विलंब और अंतिम समय में दो हवाई जहाज के टकराने से बचने की रिपोर्ट सुनते रहते है। क्या संप्रग II को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में कुप्रबंधन की जबावदेही नहीं लेनी चाहिए?

जनसंख्या का लगभग 60 प्रतिशत कृषिक्षेत्र में है और उस पर निर्भर है। फिर भी यह सकल घेरलू उत्पाद में केवल 17 प्रतिशत योगदान देता है। लगातार बढ़ती हुई मंहगाई के कारण मुद्रास्फीति का प्रभाव इस क्षेत्र पर ज्यादा पड़ा है। 2009–10 में कृषि आमदनी बगैर सुधार के अत्यधिक असंतोषजनक रही। 31 मई 2010 को प्रस्तुत वार्षिक जी डी पी में कृषि आय में 0.7 प्रतिशत की नाममात्र की वृद्धि हुई है और यह हालात बदतर ही हैं। आज तक संप्रग II ने कृषि क्षेत्र की गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए कोई व्यापक और सम्पूर्ण योजना को प्रस्तुत नहीं किया है जोकि विकास के लिए बेहद गंभीर विषय है। किसानों की आत्महत्याएं लगातार जारी है। कई घोषणाएं और राहत गरीब किसानों की चिंताओं का समाधान नहीं करती है।

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की सही संख्या के बारे में भ्रम और अनिश्चिता की स्थिति बनी हुई हैं, जोकि समूचे सामाजिक विकास कार्यक्रम एवं खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। योजना आयोग के अनुसार 27.3 प्रतिशत ग्रामीण निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। सरकार द्वारा नियुक्त एन.सी. सक्सेना विशेषज्ञ समूह कैलोरी ग्रहण करने पर आधारित, के अनुसार 50 प्रतिशत ग्रामीण निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अर्जुन सेनगुप्ता आयोग (गैर संगठित क्षेत्र उद्यमिता पर राष्ट्रीय आयोग) ने पाया है कि 77 प्रतिशत जनसंख्या 20 रू. प्रतिदिन से कम पर जीवनयापन करती हैं इसलिए यही मानदंड गरीबी रेखा का आधार होना चाहिए। सुरेश तेंदुलकर समिति ने कहा था कि देश की जनसंख्या का 37.2 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे है यह ध्यान देने की बात है

कि संयुक्त राष्ट्र संघ विकास सूचकांक ने भारत को भूटान से भी नीचे 132वें स्थान पर रखा हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 88 विकासशील देशों में 65वें स्थान पर है। स्वाभाविक है कि बी पी एल परिवारों की सटीक संख्या के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। क्योंकि इसकी सटीक संख्या नहीं होने पर खाद्य सुरक्षा का कोई भी निवाला अर्थहीन होगा संप्रग II को अभी भी यह औपचारिक रूप से घोषित करना है कि बी पी एल परिवारों की वास्तविक संख्या कितनी है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि रोजगार सृजन संप्रग के लिए न्यूनतम प्राथमिकता क्षेत्र में आ गया है। पहले यह प्रतिवर्ष 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की डींग मारता था। अब यह बेहद निराश रिकार्ड के बाद समाप्त हो चुका है। बड़ी संख्या में बेरोजगारी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लाखों युवाओं के लिए लगातार अनिश्चितता उत्पन्न कर रही है और संप्रग–II लगातार उदासीन बना हुआ हैं।

विदेश नीति

ऐसा लगता है कि संप्रग–II की सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में भारतीय विदेश नीति के प्रबंधन में उसकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता के तत्वों पर आघात पहुँचाया है। पूर्व में रणनीतिक मुद्दों पर भारत अंतर्राष्ट्रीय दवाब के समक्ष दृढ़ता से खड़ा था, अब उसकी कमी नजर आती है। शर्म–अल–शेख की संयुक्त घोषणा देश के लिए सिर्फ शर्मनाक ही नहीं थी बल्कि जनवरी 2004 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति मुशर्रफ के बीच संयुक्त उद्घोषणा के विपरीत थी। जिसमें पाकिस्तान ने पहली बार यह स्वीकार किया था कि वह अपनी भूमि से आतंकी गतिविधियों की अनुमति नहीं देगा। बलूचिस्तान को संदर्भ में लाना शर्म–अल–शेख वार्ता की भंयकर भूल थी। अब संप्रग ने भारत के राजनीतिक हितों के खिलाफ जाते हुए यह निर्णय कर लिया है कि पाकिस्तान के साथ वार्त्ता में सीमा पार से हो रही आतंकी गतिविधियों को दरकिनार करते हुए वार्त्ता की जायेगी। इस प्रकार से भारत की पारम्परिक विदेश नीति को क्षति पहुँचायी गई है। कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन के विषय पर मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में भारत की भूमिका पर अमेरिका का दवाब इस बात का सबूत है। इसी प्रकार सिविल परमाणु दायित्व विधेयक जिस प्रकार हड़बड़ी में तैयार किया गया और आगे बढ़ाया गया, इसमें भी अमेरिका का दवाब स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इस विधेयक के माध्यम से भारत में परमाणु संयंत्रों को सिर्फ पब्लिक सेक्टर के द्वारा संचालित करने की अनुमति देना, इस बिल की निरर्थकता को दर्शाता है। अगर यह परमाणु बिल परमाणु ऊर्जा सयंत्रों को अमरीकी आपूर्तिकर्ताओं के हितों के हेतु बनाया गया है। तो इसमें दुर्घटना के मद्देनजर अपराधिक जिम्मेवारी तथा एक उचित मुआवजे के व्यवस्था करने के प्रावधानों की भी आवश्यकता थी। किसी भी भारतीय नागरिक का जीवन किसी भी अमेरिकन या अन्य किसी के जीवन से सस्ता नहीं है। भोपाल त्रासदी काण्ड से पीड़ित लोगों के साथ जो घोर अन्याय किया गया है, उसका संदर्भ इस मामले में बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। भाजपा यह मांग करती है कि वे सभी आवश्यक कदम उठाये जाएं जिससे भोपाल त्रासदी से पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके।

संप्रग– I की तरह संप्रग– II आतंकवाद पर नरम है। यह आतंकवादियों और उनके आकाओं को, जो देश के भीतर और बाहर अपना काम कर रहे हैं, निरंतर यह संदेश दे रहा है कि वोट बैंक की खातिर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही को अदला बदला जा सकता है। इसकी सबसे शर्मनाक पुष्टि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित की सार्वजनिक अभिव्यक्ति में देखी जा सकती है जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया कि अफजल गुरू जिसने संसद पर आतंकी हमला किया, जिसके चलते सर्वोच्च न्यायालय ने उसे मौत की सजा दी, उसके माफीनामे के आवेदन पर कोई कारवाई न की जाय, इसके लिए तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने दवाब बनाया।

आतंकवाद पर नरमी

संप्रग– I की तरह संप्रग– II आतंकवाद पर नरम है। यह आतंकवादियों और उनके आकाओं को, जो देश के भीतर और बाहर अपना काम कर रहे हैं, निरंतर यह संदेश दे रहा है कि वोट बैंक की खातिर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही को अदला बदला जा सकता है। इसकी सबसे शर्मनाक पुष्टि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित की सार्वजनिक अभिव्यक्ति में देखी जा सकती है जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया कि अफजल गुरू जिसने संसद पर आतंकी हमला किया, जिसके चलते सर्वोच्च न्यायालय ने उसे मौत की सजा दी, उसके माफीनामे के आवेदन पर कोई कारवाई न की जाय, इसके लिए तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने दवाब बनाया। इस कारण यह फाइल तीन वर्षों से अधिक समय तक धूल चाटती रही। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान दिग्विजय सिंह उस आंतकवादियों के परिवार से मिलने आजमगढ़ गये जो अपने अन्य साथियों के साथ बाटला हाऊस दिल्ली में मारा गया। बाटला हाऊस मुठभेड़

में एक बहादुर पुलिस अधिकारी श्री मोहनलाल शर्मा शहीद हो गये। बावजूद इसके कांग्रेस के महासचिव और केबिनेट के अन्य कई मंत्री वोट बैंक की राजनीति के कारण इस पूरे मामले को संदेहास्पद बनाने के लिये अनेक प्रश्न खड़े करते रहे हैं। सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दवाब बनाने के मामले में भारत ने अपनी स्थिति कमजोर कर ली है। 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के बावजूद भारत, पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिये लालायित दिखाई पड़ता है जबकि पाकिस्तान लगातार मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमांइडों के खिलाफ कारवाई टालता आ रहा है। 26/11 के अभियोजन मामले में सिर्फ एक को सजा हुई है बाकि किसी अन्य पाकिस्तानी जिन्होंने योजना बनाई और फिर इसको कार्यान्वित किया, के खिलाफ कोई भी उल्लेखनीय कार्रवाई नहीं हुई। 26/11 मामले में भारतीय खुफिया एजेन्सियों और जाँच एजेन्सियों द्वारा डेविड हेडली की भूमिका को उद्घाटित नहीं कर पाना जाँच एजेन्सियों और खुफिया एजेन्सियों की घोर असफलता को दिखलाता है और यह साबित करता है कि हम कितने संवेदनशील है?

माओवादियों द्वारा निरंतर नरसंहार किया जा रहा हैं। आतंकवादी समूहों और माओवादियों के बीच संबंधों की जानकारी यह उजागर करती है कि हम कितनी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे है।

भ्रष्टाचार

संप्रग– II के कार्यकाल के प्रथम वर्ष ने एक बार फिर दिखाया गया है कि किस प्रकार प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में एक कठोर कार्यवाही करना तो दूर, कोई भी कार्यवाही करने के कितने लाचार है। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के निष्पादन में धीमेपन ने भी भ्रष्टाचार को बढ़ाने में योगदान दिया है, योजनाओं के तहत कार्यों को सौपने में नाजायज प्रभाव परिलक्षित होता है। 2जी स्पेक्ट्रम मामले में भारतीय राजस्व को 60 हजार करोड़ का चूना लगा। अब जबकि सी बी आई ने जाँच कर आरोपों को सच पाया तो प्रधानमंत्री अपनी अधिकारों का प्रयोग करने में अक्षम हैं और सम्बन्धित मंत्री को हटा नहीं पा रहे हैं।

आईपीएल क्रिकेट फ्रेंचाइजी प्राप्त करना या चीनी कम्पनियों में हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए मंत्रियों की लाबिंग करने के आचरण को संप्रग सरकार ने गंभीर मुद्दों के अस्तित्व में होने के बावजूद स्वीकार कर लिया हैं। इस कैबिनेट के मंत्री एक–दूसरे पर लगातार सार्वजनिक हमले कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण गारन्टी रोजगार योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार के प्रमाण मिले है। भाजपा इस विषय की गहराई से अध्ययन करेगी एवं भ्रष्टाचार को सामने लाएगी।

संस्थाओं का दुरूपयोग

संप्रग सरकार के प्रथम और द्वितीय कार्यकाल की एक स्थायी विशिष्टता यह है कि उसने शर्मनाक ढंग से सी बी आई का दूरूपयोग किया है। आय से अधिक आमदनी के एक मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के मामले में विचार करने के न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ याचिका सी बी आई द्वारा उच्च न्यायालय में अपील के लिये एक गंभीर अनुशंसा के बावजूद दायर नहीं की। जब बिहार सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट में अपील को स्वीकार कर लिया तो सी बी आई ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद कि सिर्फ सी बी आई ही निर्णय के खिलाफ चुनौती दे सकती है सरकार ने सी बी आई को अपील दायर करने की अनुमति नहीं दी। मंहगाई के मामले में लालू प्रसाद द्वारा सरकार की खिचाई के बावजूद कटौती प्रस्ताव के दौरान मतदान के समय संप्रग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढ़ंग से मदद की गयी। संप्रग एक के शासन के दौरान जब लेफ्ट ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो सरकार बचाने के लिए श्री मुलायम सिंह यादव का समर्थन लेने के लिये सी बी आई का एक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया। यही तरीका संप्रग द्वारा दो शासन के दौरान कटौती प्रस्ताव के समय मायावती और बी एस पी का समर्थन लेने के लिये अपनाया गया। विपक्ष से जुझने के लिये कानूनी और गैर कानूनी फोन टैपिंग का सहारा लिया गया। लाबिंग करने वाले सरकार के भीतर और बाहर से अपने कामों को अंजाम देते रहे।

भाजपा की भूमिका

पिछले एक वर्ष में, भाजपा ने ही जोशोखरोश के साथ यह साबित किया कि सिर्फ उसी ने संप्रग–II की जनता विरोधी नीतियों और शासन का पर्दाफाश किया है और सिर्फ वही अपने सहयोगियों के साथ गैर संप्रग का विकल्प है। पिछला एक वर्ष भाजपा के लिए खासतौर से उल्लेखनीय हैं। हमें नये अध्यक्ष और संसद के दोनों सदनों में नया नेतृत्व मिला है। पार्टी संगठन की पुनर्संरचना राज्य स्तर तक की गयी है। इसकी एक शक्तिशाली उपस्थिति है और इसकी गतिविधियाँ संपूर्ण देश में व्याप्त है। पार्टी कार्यकर्त्ता निरंतर संप्रग के असफलताओं का देश के सभी भागों में विरोध कर रहे है। कई अवसरों पर संसद के दोनों सदनों में हमने सफलापूर्वक सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर किया हैं। जिस भी राज्य में भाजपा की सरकार है वहां हमने आम आदमी के हितों से सम्बन्धित शासन का नमूना पेश किया है। भाजपा एक राष्ट्रवादी विपक्ष की अपनी ऐतिहासिक जिम्मेवारी निभाने के लिये प्रतिबद्ध है। ■

भारतीय संघ के संघीय ढांचे पर केन्द्र का हमला दुर्भाग्यपूर्ण

राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री रविशंकर प्रसाद ने भारतीय संघ के संघीय ढांचे पर केन्द्र के हमले पर प्रस्ताव रखा, तथा गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। हम यहां प्रस्ताव का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं।

dkग्रेस पार्टी ऐतिहासिक रूप से गैर–कांग्रेसी पार्टियों के प्रति असहिष्णु रही हैं और 1959 में केरल से शुरूआत करते हुए लगातार लोकप्रिय गैर कांग्रेसी निर्वाचित राज्य सरकारों को प्रताड़ित एवम् बर्खास्त करती रही है। कालान्तर में कांग्रेस पार्टी 1967 के बाद की गठबंधन सरकारों को अस्थिर करने में लिप्त रही है और इस कहानी को 1980 में भी बखूबी दोहराया गया है।

कांग्रेस पार्टी और खासतौर से वह राजशाही जो आजादी के समय से ही उसे नियंत्रित करती आ रही है, यह विचार पचा नहीं पा रही है कि भारत एक बहुदलीय, संघीय लोकतंत्र है। लोकतंत्र, संघात्मक और जनतांत्रिक संस्थाओं के प्रति झूठी सहानुभति रखते हुए भी यह राजशाही आन्तरिक रूप से इस बात की आकांक्षी रहती है कि प्रत्येक भारतीय नर – नारी एवं बालक इस राजशाही की प्रजा के रूप में व्यवहार करे।

लोकतांत्रिक अधिकारों एवं संघात्मक परिपाटियों से परिचित आज के जागरूक नागरिकों के कारण कांग्रेस द्वारा गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों की बर्खास्तगी काफी कठिन हो गई है। इससे मजबूर होकर सत्ताधारी दल ने निर्वाचित गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के अनेक हथकण्डे अपना लिये हैं। संघ में निहित अनेक वित्तीय एवं जाँच अन्वेषण शाक्तियों का प्रयोग करते हुए कांग्रेस ने एक सुनिश्चित ढंग से गैर कांग्रेसी और खासतौर से लोकप्रिय भाजपा मुख्यमंत्रियों द्वारा शासित राज्यों को अस्थिर करने का षड्यंत्र करने का रचा है। भाजपा तथा राजग शासित सरकारों के गरीबों के हित में चलाये जा रहे आर्थिक कार्यक्रमों, उनकी सभी प्रकार की विकासात्मक गतिविधियों, साबित क्षमताओं तथा शासन की पारदर्शी शासनतंत्र व्यवस्था से ईर्ष्या के कारण कुत्सित और प्रतिशोधी अभियान छेड़ दिया है। संप्रग–I और संप्रग–II की केन्द्र सरकार द्वारा जो अनेक कदम उठाए गए उसका मकसद राज्य सरकारों में निहित अनेक शक्तियों को खींचकर केन्द्रीय सत्ता के अन्तर्गत लाना है। उदाहरण स्वरूप : केन्द्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधन प्रारूप में एक प्रावधान जोड़ा है। जिसके तहत जिलाअधिकारी को नियमभंग के मामले में सीधे केन्द्र को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। यह प्रत्यक्ष तौर पर राज्य के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करना है।

- कांग्रेस भारत की राजनीतिक बहुलता को बर्दाश्त नहीं कर सकती।
- संप्रग सरकार राज्यों के अधिकार छीनने के लिए नए नियम बनाकर षड्यंत्र रच रही है।
- सरकारिया आयोग की सिफारिशों को हवा में उड़ा दिया गया है।
- केन्द्र भाजपा के मुख्यमंत्रियों से राजनीतिक बदला लेने के लिए सीबीआई का दुरूपयोग कर रहा है।
- राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानूनों को द्वेषपूर्वक रोका जा रहा है।
- राज्यों की भाजपा सरकारों को सुनियोजित तरीके से वित्तीय रूप से परेशान किया जा रहा है।
- संविधान की रक्षा और भारत को राज्यों के संघ के रूप में संरक्षित करने के लिए भाजपा संघर्ष करेगी।

केन्द्र सरकार ने हाल ही में लोक सेवा (सुरक्षा और विनियमन विधेयक 2010) संचरित किया है। इसके अनुसार केन्द्र सरकार स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास, सार्वजनिक परिवहन और विद्युत जैसे सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों को विशिष्ट महत्व देना और उसे विनियमित करना चाहती है। अगर यह विधेयक कानून बन गया तो यह खुले तौर पर राज्य की विधायिका शक्ति तथा निर्वाचित राज्य सरकारों की उनके मतदाताओं के प्रति जबावदेही का पुरी तरह से उल्लंघन होगा।

केन्द्र के वर्तमान कदम उस

सरकारिया आयोग का मखौल उड़ा रहे हैं, जिसने राज्यों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति देने की अनुशंसा की थी। आयोग ने गर्वनरों की भूमिका पर भी कुछ खास अनुशंसाएं की थी जिसके अनुसार सक्रिय राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अनेक राज्यों के राज्यपाल संभवतः केंन्द्र के इशारे पर इस परिपाटी की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया कि राज्य के कानूनी और वैधानिक विषयों में राज्य महाधिवक्ता की बजाए केन्द्र के महान्यायवादी की राय ली गई। आज की तारीख में राज्यों में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय केन्द्र सरकार संबंधित मुख्यमंत्रियों की अनदेखी करने लगी है।

लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों के खिलाफ राजनैतिक प्रहार करने के लिए केन्द्र अपने मातहत एजेंसियों का दुरूपयोग धड़ल्ले से कर रहा है। गुजरात प्रांत के 50 गौरवमयी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जब स्वार्णिम गुजरात समारोह का अवसर आया तो ऐसे ही समय केन्द्रीय जाँच एजेन्सी ने अराजक तत्वों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खतरनाक देशद्रोही आंतकवादियों से संबंधित मुठभेड़ काण्ड का विषय उठा दिया। इस मुद्दे को फिर से खोलने का समय केन्द्रीय सरकार की राजनीतिक मंशा को प्रकट करता है।

श्री मोदी द्वारा शासित गुजरात सरकार कांग्रेस के निरंतर कांग्रेस के निशाने पर रही है। कांग्रेस पिछले आठ वर्षों से श्री मोदी को फंसाने का निष्फल षड्यंत्र करती आ रही है। मुख्यमंत्री तथा अन्य भाजपा नेताओं पर निरंतर झूठे आरोप लगते आ रहे हैं। इसी बीच गुजरात सरकार द्वारा दो बार पारित एक कठोर आंतक विरोधी कानून गुजकोका को केन्द्र सरकार निरंतर कानून बनने से रोकती आ रही है। यह सभी जानते है कि गुजकोका के समान ही मकोका एक कानून हैं जो संप्रग शासित महाराष्ट्र तथा कुछ अन्य संप्रग शासित राज्य सरकारों में लागू है। लेकिन केन्द्र सरकार ने एक मात्र गुजरात को निशाने पर लेकर उसके द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत न हो सके इसका दृढ़ निश्चय कर रखा है।

गुजरात एक मात्र अकेला राज्य नहीं है जिसने राजनीति प्रेरित भेदभाव झेला है। सभी राजग शासित राज्य केन्द्र के हाथों बुरी तरह प्रताड़ित हैं। मध्य प्रदेश में एक केन्द्रीय मंत्री ने महेश्वर विद्युत परियोजना जो राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए निहायत जरूरी है, को रोकने का आदेश दिया। इस तानाशाही आदेश का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि इस परियोजना हेतू राज्य सरकार सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूर्ण कर चुकी थी। साफ तौर पर इस आवेश के पीछे यह विचार था कि मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन न हो सके, किसान तथा औद्योगिक मजदूर समृद्ध न हो सके। जहाँ एक ओर कांग्रेसी मंत्रीगण 10 प्रतिशत वार्षिक प्रगति का राग अलाप रहे थे वहीं दूसरी ओर वो गैर–कांग्रेसी राज्यों को गरीबी तथा मजबूरी के बंधनों में जकड़े देखना चाहते हैं।

बी पी एल परिवारों को नाम मात्र के मूल्य पर चावल, गेहूँ उपलब्ध कराने की योजना द्वारा आज छत्तीसगढ़ एक आदर्श कल्याणकारी राज्य बन चुका है। 2 रूपये चावल तथा 1 रूपये किलो नमक देने वाली योजना अपार सफलता वाला कार्यक्रम बन चुकी है तथा इससे राज्य की काफी बड़ी आदिवासी आबादी को लाभ मिला रहा है। भाजपा सरकार लोकप्रियता से घबड़ाकर केन्द्र सरकार ने अपने कोटे से छत्तीसगढ़ को अनाजों का आवंटन में निरंतर घटोतरी की है। मजबूर होकर राज्य सरकार ने खुले बाजार से अनाजों की उपलब्धता सुनिश्चित की है ताकि राज्य के गरीबों को भूखों न मरना पड़े। लेकिन इस कारण सरकार पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता जा रहा है।

किसी न किसी प्रकार से सभी भाजपा शासित राज्य केन्द्र द्वारा प्रताड़ित किये जा रहे हैं। हिमाचल ओर उत्तराखण्ड में औधोगिक विकास पैकेज का नवीकरण नहीं किया गया है। जो 31 मार्च 2010 को समाप्त हो गया है। किन्तु जम्मू काश्मीर में यह 2012 तक तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में यह 2017 तक बढ़ा दिया गया। नवनिर्मित राज्य का तर्क देकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री रमेश निशंक पोखरियाल ने इस सुविधा को 2013 तक बढ़ाने की गुज़ारिश की थी। किन्तु उन्हें रूखा उत्तर दिया गया। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रेमकुमार धूमल ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अन्य पर्वतीय राज्यों की भाँति उनके राज्य में भी

लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों के खिलाफ राजनैतिक प्रहार करने के लिए केन्द्र अपने मातहत एर्जेसियों का दुरूपयोग धड़ल्ले से कर रहा है। गुजरात प्रांत के 50 गौरवमयी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जब स्वार्णिम गुजरात समारोह का अवसर आया तो ऐसे ही समय केन्द्रीय जाँच एजेन्सी ने अराजक तत्वों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खतरनाक देशद्रोही आंतकवादियों से संबंधित मुठभेड़ काण्ड का विषय उठा दिया। इस मुद्दे को फिर से खोलने का समय केन्द्रीय सरकार की राजनीतिक मंशा को प्रकट करता है।

यह सुविधा आगे के लिए बहाल कर दी जाऐ। किन्तु उन्हें भी अनसुना कर दिया गया। विशेष श्रेणी राज्यों की सूची में राशि आवंटन मामले में हिमाचल सबसे पीछे खड़ा कर दिया गया है।

सिर्फ एक बात द्वारा ही केन्द्र की मंशा समझी जा सकती है। जब भाजपा ने अपने सक्रिय विरोध से महंगाई के मामले पर केन्द्र को घेर लिया तथा उसे कठघरे में खड़ा कर दिया तो भाजपा की सफलता से घबरा कर केन्द्र ने कालाबाजारियों के मत्थे दोष मढ़ना शुरू किया और फिर अपनी एजेंसियों द्वारा देशव्यापी छापा अनाज गोदामो पर डलवाया। इसमें 83 प्रतिशत छापा गैर संप्रग शासित सरकारों तथा सिर्फ 17 प्रतिशत संप्रग शासित राज्य सरकारों पर पड़ा।

जहाँ एक ओर कांग्रेस शासित राज्यों में आए प्राकृतिक विपदाओं से केन्द्र आँसू बहाने लगता है, उसके दिल में दर्द हो उठता हैं, वहीं बिहार जैसे राजग शासित राज्य में कोशी जैसी विपदा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बार– बार अपना आग्रह किया कि कोशी बाढ़ पीड़ितों के लिए न सिर्फ कम राहत राशि दी गयी अपितु देर से भी दी गयी है, साफ तौर पर यह बिहारी जनता की नजरों में बिहार राज्य सरकार को अपराधी सिद्ध करने के लिए किया गया। संभवतः अपने पूर्व के एक सहयोगी जो भविष्य में भी कांग्रेस का सहयोगी हो सकता है, उनकी सलाह मानकर ऐसा किया गया। पीछे के वर्षों में भी केन्द्र ने बड़ी उदारता से बाढ़ पीड़ितों के राहत हेतु घोषणाएं की किन्तु फिर चुपके से राशि देने से मना कर दिया। यह सब कुछ राज्य सरकार को कमजोर करने के लिए किया गया।

इसी प्रकार का भेदभाव कर्नाटक भी झेल रहा है। जहाँ संप्रग शासित राज्यों की राजधानी यथा हैदराबाद और चैन्नई को सुरक्षा हेतु उदारतापूर्वक राशि दी गयी वहीं दूसरी ओर भाजपा शासित कर्नाटक की राजधानी बेंग्लुरू, जो भारत का सबसे बड़ा आई टी हब बन चुका है तथा जो आंतकवादियों के मुख्य निशाने पर है तथा कई अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं का केन्द्र है, को सुरक्षा देने के संबंध में उदासीनता अपना रखी है। इस मामले में गैर संप्रग शासित उड़ीसा ने कर्नाटक के साथ स्वर मिलाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है।

केन्द्र ने गैर संप्रग शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बिना विचार विमर्श किए एकाएक शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया। भाजपा ने इस अधिनियम को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया क्योंकि यह अधिनियम राजग शासन के दौरान सर्व शिक्षा अभियान की उपज था। इस अधिनियम द्वारा केन्द्र राज्यों पर वित्तीय बोझ लादने की मंशा रखता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के संदर्भ मे इस अधिनियम द्वारा 13000 करोड़ रूपये के आर्थिक बोझ का आंकलन किया है।

चुनावी लाभ के लिए बड़ी चतुराई से संप्रग ने अपने प्रथम कार्यकाल में 2009 के लोकसभा चुनाव की बेला में छठे वेतन आयोग को लागू कर राज्यों पर एक बड़ा आर्थिक बोझ डाल दिया। अब शिक्षा के अधिकार अधिनियम के द्वारा फिर से एक बड़ा आर्थिक बोझ राज्यों के सिर मढ़ दिया गया है। यह सब कुछ भाजपा द्वारा शासित सरकारों के लोकप्रिय कार्यक्रमों पर ताला डलवाने की खातिर है।

सुविचारित सुनिश्चित ढंग से कांग्रेस पार्टी द्वारा गैर कांग्रेसी सरकारों को प्रताड़ित करना कांग्रेस पार्टी की संघात्मक विरोधी सोच को दर्शाता है। मनमोहन सिंह के सरकार में राज्यों की दो प्रकार की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। एक श्रेणी में वह राज्य हैं जहाँ कांग्रेस तथा उसके सहयोगी पार्टियों की सरकार हैं, ये सभी राज्य सरकारें केन्द्र के दूधारू राज्य हैं। दूसरी ओर भाजपा तथा उसके सहयोगी पार्टियों की सरकारें है जो सभी प्रकार से केन्द्र द्वारा तिरस्कृत की जा रही हैं। यह न सिर्फ संविधान का घोर उल्लंघन है बल्कि एक राजनैतिक नस्लवाद भी है। सत्ता के मद में चूर होकर संप्रग सरकार ने भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ सभी प्रकार के आर्थिक एवं युद्ध छेड़ दिये हैं। इस क्रम में सीबीआई और योजना आयोग, पी एम ओ और 10 जनपथ के हाथों के खिलौने बन गये है।

हमारे संविधान निर्माताओं ने संघात्मक संरचना की परिकल्पना की थी इसीलिए उन्होंने भारत को संघ राज्य (यूनियन ऑफ इंडिया) कहा था किन्तु कांग्रेस संविधान तथा उसके निर्माताओं की परिकल्पनाओं पर पानी फेरने पर तुली हुई है। वह भारत को एकदलीय राज्य बना देना चाहती है जिसमें लोग एक ही पार्टी के गुणगान में लगे रहें।

भारतीय जनता पार्टी संप्रग सरकार को चेतावनी देते हुए सचेत करती है कि वह अपनी राजनीतिक कलाबाजियों एवं चालबाजियों से बाज आये और गैर–कांग्रेसी सरकारों को प्रताड़ित करने की नीति का पूर्णतः त्याग करें। भाजपा संघात्मक ढांचे के प्रति अपनी अगाध प्रतिबद्धता व्यक्त करती है जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संचालित सरकार में व्यावहारिक रूप में प्रकट हुई।

भाजपा संप्रग की असंवैधानिक आघातों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। जनमत बनाने के लिए जनान्दोलन द्वारा इन गैर कानूनी कार्यों का पार्टी डट कर विरोध करेगी तथा संप्रग सरकार को मजबूर करेगी कि वह इस खतरनाक खेल को छोड़ दे। ■

स्वराज को सुराज में बदलेंगे : लालकृष्ण आडवाणी

राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दूसरे दिन 13 जून को भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने प्रेरणास्पद मार्गदर्शन भाषण दिया। हम यहां भाषण के प्रमुख बिन्दु प्रकाशित कर रहे हैं

; ह एक संयोग है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा गठित नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक 12 व 13 जून की तय की गई। लेकिन कल ज्यों ही मैंने अपना साप्ताहिक ब्लॉग लिखना शुरू किया तो स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में 12 जून के महत्व का मुझे स्मरण हो आया।

पटना में हमारी बैठक में हुआ विचार–विमर्श पूर्णतया संतोषजनक रहा। एजेन्डे के दो मुख्य बिन्दु थेः

तीन प्रस्ताव : एक – माओवादी गतिविधियों का विस्तार और दूसरा– यूपीए–II की निराशा और असफलता का एक वर्ष और तीसरा – भारतीय संघ के संघीय ढांचे पर केन्द्र के हमले संबंधी प्रस्ताव।

तीन प्रतिवेदन : (एक) पार्टी समिति की भारत–तिब्बत सीमा पर हुए अतिक्रमणों पर प्रारम्भिक रिपोर्ट। (दूसरा) – आजीवन सहयोग निधि के बारे में प्रतिवेदन और (तीसरा) सुराज संकल्प।

मैं समझता हूं कि इन सभी दस्तावेजों में से भारतीय संघ के संघीय ढांचे पर केन्द्र के हमले वाला प्रस्ताव और भारत–तिब्बत सीमा पर गई समिति का प्रतिवेदन सर्वाधिक महत्व का और उत्साहवर्धक रहा। कल शाम को जब हमारे दोनों संसद सदस्य श्री भगत सिंह कोशियारी और श्री राजीव प्रताप रूढ़ी ये प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय मैं सभागार में उपस्थित सदस्यों के चेहरों पर जिस गर्व की अनुभूति देख रहा था वह बहुत प्रसन्न करने वाली थी।

19 हजार फीट तक की ऊँचाई पर गये हमारे ये सांसद ऐसा कार्य कर पाये जो कोई और सांसद या राजनीतिक कार्यकर्ता आज तक नहीं कर पाए और जिस प्रकार के चित्र उन्होंने कार्यसमिति के सामने प्रस्तुत किये वह इस बात को स्पष्ट दर्शाते थे कि जहाँ भारत–तिब्बत सीमा के निकट चीन सड़कें, हवाई अड्डे आदि बनाने में बहुत सक्रिय है, वहीं भारत की सीमा के भीतर पूर्ण निष्क्रियता है।

सन् 2008 में मैंने जब अपनी आत्मकथा लिखी थी तो स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र का, भारतीय राजनीति का जिस प्रकार से विकास हुआ है, उसका भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में वर्णन किया था। पुस्तक समाप्ति के बाद व्यक्तिगत रूप से मुझे संतोष हुआ था, लेकिन यह अनुभूति भी हुई कि डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्री नानाजी देशमुख और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेताओं द्वारा पुष्पित और पल्लवित भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का एक विस्तृत इतिहास भी लिखा जाना चाहिए।

मेरा जन्म 1927 में कराची (सिंध) में हुआ। जीवन के प्रथम 20 वर्ष मैंने सिंध में बिताए। मैं 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक सिंध में ही बना। 1947 में मैं राजस्थान आया और 1957 तक वहीं रहा। 1957 के बाद ही मेरी गतिविधि का केन्द्र दिल्ली बना। राजनीति में 1951 से जनसंघ के जन्मकाल से मैं सक्रिय रहा हूं। 1952 के प्रथम आम चुनाव से 2009 के पंद्रहवें आम चुनाव तक मैंने सभी कुछ प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं।

राजस्थान में रहते हुए मुझे इस बात की गहरी अनुभूति हुई कि अगर स्वतंत्र भारत के नेतृत्व में सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे दूरदर्शी और दृढ़ निश्चयी नेता न होते तो इस बात की पूरी सम्भावना रहती कि स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ–साथ भारत का केवल विभाजन ही नहीं होता, संभवतः विघटन ही हो जाता।

अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। पं. जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने व सरदार पटेल उप–प्रधानमंत्री। शासन के सामने सबसे बड़ा कार्य था भारत भर में फैले लगभग 530 रजवाड़ों का देश के साथ एकीकरण। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल को यह कार्य करना था और उन्हें

इसके लिए थोड़ा ही समय मिला। दिसम्बर 1950 में उनका देहान्त हो गया।

सरकार में उनके साथ एक बहुत ही श्रेष्ठ अधिकारी रहे श्री वी.पी.मेनन। श्री मेनन ने दो उत्तम ग्रंथ लिखे हैंः– एक– The Story of Transfer of Power व दूसराः The Integration of Indian State ये दो ग्रंथ सरदार वल्लभभाई पटेल की अद्भुत प्रशासनिक क्षमता, असाधारण देशभक्ति तथा दूरदर्शिता के परिचायक हैं।

पीछे मुड़कर देखने पर मैं यह कह सकता हूं कि अगर भारतीय जनसंघ न बना होता और डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का श्रीनगर के कारावास में बलिदान नहीं हुआ होता तो आज स्थिति ये रहती कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं लहराया जाता, और वैष्णो देवी की यात्रा करने के इच्छुक लोग बिना परमिट के वहाँ नहीं जा सकते थे।

भारतीय जनता पार्टी के एक–एक सदस्य को इस बात का गर्व होना चाहिए कि भारत की अखण्डता को बरकरार रखने में और भारत के लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाये रखने में और भारत को एक आणविक शक्ति बनाने में भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की अद्वितीय भूमिका रही है।

इतना ही नहीं वर्ष 1975–76 के इमर्जेंसी काल का स्मरण करके मैं कह सकता हूँ कि अधिनायकवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और पूरे संघ परिवार ने जो जबरदस्त संघर्ष किया और जिसका सुखद परिणाम 1977 के चुनाव परिणामों में प्रकट हुआ, यदि यह न हुआ होता तो आज भारतीय राजनीति का चेहरा ही कुछ दूसरा होता। उन दिनों इमर्जेंसी काल में कांग्रेसी मुखपत्र National Herald ने इसकी लगातार वकालत की थी कि हिन्दुस्तान को बहुदलीय लोकतंत्र नहीं, अपितु अफ्रीका के कुछ देशों की तरह का एकदलीय लोकतंत्र चाहिए।

आज दुनिया भर में भारत की जो इज्जत है उसका कारण न केवल यह है कि भारत एक उदीयमान आर्थिक महाशक्ति माना जाता है वरन् यह भी है कि भारत एकमात्र विकासशील देश है जो कि इमर्जेंसी के 20 महीने छोड़कर एक सफल लोकतंत्र सिद्ध हुआ है।

1962 में भारत की चीन के हाथों एक अपमानजनक पराजय हुई। चीन का वह आक्रमण प्रधानमंत्री पं. नेहरू के लिए जानलेवा साबित हुआ। मैं एक पत्रकार के नाते दिसम्बर 1962 में पहली बार लद्दाख गया और तीव्र अहसास हुआ कि कांग्रेस शासन देश की सुरक्षा के प्रति कितना उदासीन है।

1964 में चीन ने लोपनोर में अणु विस्फोट कर आणविक शक्ति बनने की ओर पहला कदम उठाया।

उसके तुरन्त बाद जनसंघ ने प्रस्ताव किया कि भारत को अणु बम बनाने की ओर बढ़ना चाहिए। बाकी सब हमारी आलोचना करते रहे किन्तु देश की प्रतिरक्षा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानने वाला हमारा दल अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं हुआ।

1998 में हमें अवसर मिला। घोषणा पत्र तैयार करते हुए हमने एनडीए के सहयोगी दलों को भाजपा के इस कार्यक्रम से सहमत कराया। मार्च में श्री वाजपेयी का मंत्रिमण्डल बना और मई में पोखरण हुआ। एक–एक भारतीय, भारत के भीतर और भारत के बाहर गौरव का अनुभव कर पाया।

भारतीय जनता पार्टी के एक–एक सदस्य को इस बात का गर्व होना चाहिए कि भारत की अखण्डता को बरकरार रखने में और भारत के लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाये रखने में और भारत को एक आणविक शक्ति बनाने में भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की अद्वितीय भूमिका रही है।

जब मैं पिछले छः दशकों की राजनीतिक यात्रा पर नजर दौड़ाता हूँ तो मुझे इस पर निराशा होती है कि 1947 में जो आकांक्षाएं और सपने हमने देखे थे, वे पूरे नहीं हुए हैं। प्रत्येक वर्ष जब मैं दो रिपोर्टों को देखता हूँ तो मुझे अत्यधिक दुःख पहुँचता है; ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वार्षिक रिपोर्ट जो भ्रष्टाचार के आधार पर तैयार सूचकांक में देशों की स्थिति दर्ज करती है, इस रिपोर्ट में भारत हमेशा ऊपरी स्थान पर रहता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट जिसमें भारत का स्थान अत्यधिक नीचे वाले देशों में रहता है।

1997 में जब भारत की आजादी के 50 साल पूरे हुए तब मैंने अपने जीवन की सबसे लम्बी यात्रा की थी। पार्टी ने इसे ''स्वर्ण जयंती रथ यात्रा'' का नाम दिया था।

59 दिनों में सम्पूर्ण देश का दौरा करके उन सभी देशभक्तों को पार्टी की ओर से श्रद्धा–सुमन अर्पित किये थे जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान से भारत को 1947 में आजादी मिली थी।

पार्टी ने देश को यह भी संदेश दिया था कि यदि 50 साल बीत जाने के बाद देश अभी भी पिछड़ा हुआ है, और अपनी सम्भावनाओं के अनुरूप विश्व में स्थान प्राप्त नहीं कर पाया है तो उसका कारण है कि देशभक्तों की कुर्बानियों के

कारण स्वराज तो मिला, लेकिन जिन लोगों ने शासन सम्भाला था वे उसे सुराज नहीं बना पाये। भारतीय जनता पार्टी का देश को वचन है कि जहाँ–जहाँ पर हमें सरकार चलाने का अवसर मिलेगा वहाँ–वहाँ हम उसे सुराज बनाकर दिखायेंगे।

1997 में दिये गये इस वचन को 1998 मे हीं हमें केन्द्र में पूरा करने का अवसर मिला। 6 साल तक श्री वाजपेयी के नेतृत्व में एन.डी.ए. की एक शानदार सरकार चली।

आज अनेक प्रदेशों में भी हमारी जो सरकारें चल रही हैं वे भी इस वचन की पूर्ति में ईमानदारी से लगी हुई हैं और इस प्रकार भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जो भूमिका निभा रही हैं। वह हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत का चिरंतन स्रोत है और जनता में हमारे लिए बढ़ती हुई सद्भावना व साख का अमूल्य सोपान भी। ■

पृष्ठ 5 का शेष

अत्यंत सफल रही है। पांच वर्ष पूर्व जहां बिहार में बदहाल था वहीं अब खुशहाली देखी जा रही है। केन्द्र की यूपीए सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश में कई प्रकार के संकट मंडरा रहे हैं। उन्होंने वर्तमान परिस्थिति पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'आम आदमी बेहाल है, मंत्री मालामाल है, किसान मजदूर बदहाल है, नक्सली पुलिस का काल है, सरकार का यह हाल है।' राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री अरुण जेटली ने कहा कि भाजपा एवं भाजपा की गठबंधन वाली सरकारें सबसे बेहतर कार्य कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सामाजिक न्याय के साथ प्रगति की है तो छत्तीसगढ़ की सरकार माओवादियों से कुशलतापूर्वक निपटते हुए प्रदेश में विकास की गंगा बहा रही है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार के दौरे पर आए श्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह भाजपा की संस्कृति है कि उनके जैसा साधारण कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। जबकि दूसरी ओर कांग्रेस में यह पद सिर्फ गांधी परिवार के लिए आरक्षित है। कांग्रेस घोर जातिवाद और साम्प्रदायिकता की राजनीति कर रही है। उसके कुशासन के कारण किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। कृषि मंत्री ने माना है कि 58 हजार करोड़ रुपए का अनाज सड़ गया। सीबीआई का दुरुपयोग कर कांग्रेस अपनी सत्ता चला रही है। एंडरसन मामले में प्रणव मुखर्जी के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यदि भोपाल के हालात एंडरसन के लिए ठीक नहीं थे तो उन्हें दिल्ली में गिरतार क्यों नहीं किया गया? बिहार में हवा में आसन्न चुनावों की खनक महसूस की जाने लगी है। ऐसे में श्री गडकरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा गठबंधन धर्म का बेहतर तरीके से पालन करेगी, मगर अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगी। रैली को बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री येदियुरप्पा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल सहित कई अन्य प्रमुख नेताओं ने भी संबोधित किया। मंच संचालन राजग के प्रदेश संयोजक एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री नंद किशोर यादव ने किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. सी.पी. ठाकुर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी का अभिनंदन किया।

मंचस्थ नेताओं ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री येदियुरप्पा सरकार द्वारा 40 लाख करोड़ रुपए का विदेशी निवेश कराने की भूरि–भूरि प्रशंसा की तो श्री येदियुरप्पा ने जीवन में पहली बार हिन्दी में भाषण देकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। ■

झलकियां

- भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल प्रतिनिधियों को बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकारी, भागलपुर का सिल्क तथा रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध .ति 'रश्मिरथी' भेंट की गई।
- रैली में कई लोग बैंड–बाजों के साथ आए थे। बेगुसराय के श्री रजनीश सिंह सरीखे कई नेता अपने–अपने क्षेत्र के लोगों के साथ स्थानीय बैंड लेकर रैली स्थल पर पहुंचे थे।
- रैली में आए लोगों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की गई। इसमें कलाकारों ने स्थानीय भाषाओं में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
- रैली एवं कार्यकारिणी बैठक की तैयारियों को देखकर समाचार पत्रों ने स्वीकार किया कि 'पटना भाजपामय हो गया है'।
- रैली में पटना के अलग–अलग मंडलों से आए कार्यकर्ता अपने मंडल की झांकी लेकर आए थे।
- भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने बिहार भाजपा के वयोवृद्ध नेता एवं गुजरात के पूर्व राज्यपाल श्री कैलाशपति मिश्र का अभिनंदन भी किया।

देशहित में नहीं रंगनाथ मिश्रा आयोग रिपोर्ट

&HkwisUnz ;kno

b न दिनों देश में रंगनाथ मिश्रा आयोग रिपोर्ट की चर्चा है। हाल ही में यह रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गयी, जिसमें दलित ईसाई एवं मुस्लिम समुदाय को अनुसूचित जाति के आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। गौरतलब है कि प्रारंभ में आयोग का उद्देश्य सरकार को यह सुझाना था कि वह सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान करे तथा ऐसे पिछडे वर्गों के उत्थान हेतु संवैधानिक, कानूनी एवं प्रशासनिक योजनाओं एवं नीतियों के सम्बध में सुझाव दें। रंगनाथ मिश्रा आयोग को सरकार द्वारा 29 अक्टूबर 2004 को अधिसूचित किया गया था। आयोग के गठन के पांच माह बाद सरकार ने एक जनहित याचिका का संदर्भ देते हुए अनुसूचित जाति के मतान्तरित ईसाई एवं मुसलमानों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति के अध्यादेश 1950 के धारा 3 में संशोधन करने का सुझाव भी आयोग की विषय सूची में जोड़ दिया, जो आयोग का मुख्य एजेण्डा बन गया।

> ***रंगनाथ मिश्र आयोग रिपोर्ट का लक्ष्य वोट बैंक की सुनियोजित राजनीति का विस्तार करना था। चाहे उसके परिणामस्वरूप देश के वंचित वर्ग के अधिकारों की समाप्ति हो या ईसाई एवं मुसलमानों की मूल धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप होता हो, रिपोर्ट बनाने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पडता।***

हमारे देश में आरक्षण की सुविधा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग को दी गई है। ब्रिटिश काल में अनुसूचित जाति के बन्धुओं को हिंदू समाज से अलग करने हेतु पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान अंग्रेजों ने किया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की नीति अंग्रेजों की समाज को बांटने की साजिश थी। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में 21 दिन का उपवास किया। फिर महात्मा गांधी व डॉ. भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुए पूना समझौते के कारण अनुसूचित जाति समाज को विधान मंण्डलों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। स्वाधीनता के पश्चात् इस आरक्षण की व्यवस्था को संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से विधायिका, सरकारी नोकरियों, शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में लागू किया गया।

प्रश्न यह है कि मुस्लिम व ईसाई समाज के मतान्तरित दलित वर्ग को सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़े वर्ग में आरक्षण है तथा अल्पसंख्यक दर्जा के कारण विशेष संवैधानिक सुविधा है तो फिर अनुसूचित जाति में आरक्षण क्यों दिया जाए? रंगनाथ मिश्रा आयोग ने मण्डल आयोग के उस निष्कर्ष पर भी ध्यान नहीं दिया, जिसमें कहा गया है कि जाति केवल हिंदू समाज का भाग है।

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि दलित ईसाई एवं मुस्लिम समाज को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के आधार पर आरक्षण का लाभ मिल रहा है। उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए लागू परियोजनाओं का अतिरिक्त लाभ भी मिल रहा है। कमजोर वर्ग के अर्न्तगत भी विकलांगों, गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों का भी आरक्षण सभी वर्गों को उपलब्ध है। अतएव अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण उन्हीं को मिलना चाहिए, जो इस वर्ग से सम्बध रखते हो। इस आयोग रिपोर्ट का लक्ष्य वोट बैंक की सुनियोजित राजनीति का विस्तार करना था। चाहे उसके परिणामस्वरूप देश के वंचित वर्ग के अधिकारों की समाप्ति हो या ईसाई एवं मुसलमानों की मूल धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप होता हो, रिपोर्ट बनाने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पडता।

आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 1947 से पहले रहने वाले सभी अल्पसंख्यक समुदायों को बिना उनके मूल एथेनिक चरित्र पर विचार किये अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे देना चाहिए। देश के 9 करोड़ जनजाति समाज की आस्था, विश्वास एवं सांस्कृतिक विरासत की परम्परा को समझे बिना दिया गया यह निष्कर्ष असंवैधानिक है। भारत में अगर इस आयोग की रिपोर्ट को मानकर 1947 के पूर्व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में रहने वाले सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को यह लाभ दिया तो इसका सिलसिला रूकेगा नहीं, इसके घातक परिणाम होंगें। किसी भी जाति या उसके समूह को जनजातियों की अनुसूची में सम्मिलित करने की एक स्थापित परम्परा है, प्रक्रिया है। यह सिफारिश इन सभी की अनदेखी करके की गई है। अनुसूचित जनजाति का विषय जब आयोग के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था तो उसकी सिफारिश आयोग की नीयत को उजागर करती है।

इस आयोग से यह अपेक्षा की गई थी कि वह देश के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछडे सभी अल्पसंख्यक

समुदायों की स्थिति पर विचार करेगा जबकि आयोग ने न तो जम्मू–कश्मीर के अल्पसंख्यक हिन्दुओं की समस्याओं की जानकारी ली एवं न ही आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों में छोटे जनजातिय समूहों एवं बौद्ध समाज की स्थिति पर कोई विचार किया। आयोग किसी सिख संगठन एवं सिख धार्मिक सामाजिक नेता से नहीं मिला। आयोग का यह व्यवहार उसकी अल्पसंख्यकों से ज्यादा अल्पसंख्यक वोट बैंक में रूचि को दर्शाता है।

आयोग के अध्ययन के लिए दिल्ली के एक एन.जी.ओ. सेन्टर फॉर रिसर्च, प्लानिंग एवं एक्शन के सेमीनार एवं सर्वे को आधार माना है। इस एन.जी.ओ. ने केवल पांच राज्यों का सर्वेक्षण किया जो कि महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल है। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों जो ईसाई बहुसंख्यक है वहां भी इस एन.जी.ओ. ने कोई सर्वे नहीं किया है। पर आश्चर्य यह कि इस एन.जी.ओ. की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने अपने निष्कर्षों को आधार दिया।

भारतीय संविधान में अपनी प्रस्तावना में हमने भारत के सभी नागरिकों को समाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय देने का संकल्प किया है। भारत के सभी राजनैतिक दलों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर सामाजिक न्याय के लिए सहभागिता की है। आयोग ने न तो किसी भी लोकतांत्रिक दल से कोई सलाह मांगने का प्रयास किया एवं इस विषय पर अधिकृत अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, सामाजिक एवं आर्थिक पिछडा वर्ग आयोग एवं महिला आयोग से कोई सिफारिश मांगी है। आयोग को चाहिए था कि वह इन विषय के विशेषज्ञ लोकतांत्रिक प्रणाली में कार्य करने वाले लोगों से राय मांग कर इस रिपोर्ट की गंम्भीरता को बढाता।

आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन से निष्कर्ष तो यह निकलता है कि अनुसूचित जाति में दलित ईसाइयों एवं मुसलमानों के आरक्षण को ज्यादातर राज्य सरकारों का कोई समर्थन नहीं है। आयोग ने देश के सभी राज्यों को प्रश्नावली भेजी तथा उनसे अनुसूचित जाति में दलित ईसाई मतान्तरित लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल करने पर राय मांगी। जिसको अधिकांश राज्यों ने मना किया। विशेष रूप से देश के ईसाई एवं मुस्लिम बहुल राज्यों ने भी इस पर कोई सर्वसम्मति से सहमति प्रकट नहीं की। केन्द्र सरकार ने भी इस पर अपनी कोई राय नहीं दीं। परन्तु आयोग ने अपना प्रायोजित निष्कर्ष अवश्य दे दिया। जब देश के बहुसंख्यक राज्यों की इस विषय के समर्थन में राय नहीं है तो आप इस रिपोर्ट को लागू कैसे कर सकते है?

हमारे देश में छुआ–छूत व अस्पृश्यता के लिए पीपुल सिविल राइट एक्ट 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अस्पृश्यता निवारण एक्ट है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि पीपुल सिविल राइट एक्ट 1955 के अर्न्तगत छुआ–छूत पर सभी नागरिकों को कानूनी संरक्षण उपलब्ध है। आयोग ने संसद में सामाजिक मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि इस एक्ट के अर्न्तगत शिकायतों में कमी आई है। जब अस्पृश्यता की शिकायतें अन्य वर्गों में है ही नहीं तो फिर आयोग का अन्य धर्म समूहों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का औचित्य क्या है? आयोग के सामने एक भी केस इस उदाहरण का नहीं आया कि किस स्थान पर मतान्तरित ईसाई एवं मुस्लिम समाज के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और जब उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग में आरक्षण मिल रहा है तो अनावश्यक रूप से उन्हें अनुसूचित जाति में आरक्षण क्यों दिया जायेगा?

मुस्लिम एवं ईसाई समाज के मतान्तरित लोगों को पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिला हुआ है तो उन्हें अनुसूचित जाति में आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। यह देश के बीस करोड़ के लगभग अनुसूचित जाति की आबादी के हक को छीनने का यूपीए सरकार का षड्यंत्र है, जो डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के भारत के सपनों को खण्डित करता है।

आयोग के तथ्य बताते है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्थिति अल्पसंख्यकों से ज्यादा खराब है। आयोग के कुछ तथ्यों पर विचार करिए–आयोग का मानना है कि साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा, पोषाहार, स्वच्छ पीने योग्य पानी एवं पक्के मकानों के मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से अल्पसंख्यकों की स्थिति अच्छी है। सवाल यह उठता है कि जब आयोग के आंकड़ों से यह दृश्य दिखता हो कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को सामाजिक न्याय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मुस्लिम एवं ईसाई समाज के मतान्तरित लोगों को पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिला हुआ है तो उन्हें अनुसूचित जाति में आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। यह देश के बीस करोड़ के लगभग अनुसूचित जाति की आबादी के हक को छीनने का यूपीए सरकार का षड्यंत्र है, जो डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के भारत के सपनों को खण्डित करता है।

इस आयोग को यह अधिकार दिया गया था कि वह भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों का अध्ययन करे। जब आयोग के निष्कर्ष अनुसार भाषा को सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का आधार नहीं माना जा सकता तो फिर पंथ व

पूजा पद्धति सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का आधार कैसे हो सकता है? आयोग के निष्कर्ष यह दर्शाते है कि हमारे देश में सर्व धर्म समभावः के नाते अल्पसंख्यकों की स्थिति किसी प्रकार से भेदभावपूर्ण नहीं है। आयोग का खुद का यह मानना है कि हिन्दू, बौद्ध, जैन और सिख भारत में पैदा होने वाले धर्म है। इसीलिए हमारे यहां भारत में जन्मे पंथों में ऐतिहासिक कारणों से कुरूति के रूप में अस्पृश्यता आयी है। यह दुखद है कि इसका आधार जाति में जन्म लेने से ही बन जाता है। उसके कारण हमने अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया है। वह जन्मजात अस्पृश्यता की सामाजिक बुराई है। जिसे हम स्वीकार करते है और जिसे हमने सुधारने का प्रयास किया है जिसके लिए हिन्दू समाज के संतों ने सुधार आन्दोलन चलाये है।

आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती आशा दास ने इस सिफारिश से अपनी असहमति प्रकट की है। उन्होंने अपने असहमति के नोट में लिखा है कि अनुसूचित जाति में दलित मुस्लिम एवं ईसाइयों को आरक्षण देश की पंथनिरपेक्षता के विरूद्ध है। उन्होंने लिखा है कि यह सिफारिश आयोग के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के विपरीत है। आशा दास ने यह भी कहा कि इस सिफारिश में दलित ईसाई एवं मुसलमानों के मतान्तरण की समय सीमा को निर्धारित नहीं किया जा सकता, यह अव्यावहारिक है। 1935 के गवर्मेंट ऑफ इण्डिया एक्ट में भी ईसाइयों को अनुसूचित जाति से अलग मानकर भारतीय ईसाई का दर्जा दिया गया था। अगर दलित ईसाइयों में चर्च में भेदभाव है तो उनके चर्च के नेताओं को आगे बढ़कर उनके सामाजिक अन्याय को दूर करना चाहिए।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़ेपन के लिए मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा के प्रति उदासीनता एवं मुस्लिम महिलाओं का कामकाजी न होने को प्रमुख कारण माना है, जिस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़े वर्ग को एक पूरी ईकाई मानना चाहिए अन्यथा धार्मिक दृष्टि से समुदायों को विभाजित करने से भारत का पंथनिरपेक्ष चरित्र समाप्त हो जाएगा, जो न केवल घातक अपितु भविष्य में देश की एकता के लिए खतरनाक होगा। हमें यह ध्यान करना होगा कि समाज में आरक्षण का वास्तविक लाभ अनुसूचित जाति के बंधुओं को यथाशीघ्र प्राप्त हो एवं अस्पृश्यता जैसी कुरूतियों को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाय, तभी हम समरस समाज का निर्माण कर सकेंगे। समरस समाज ही शोषणमुक्त, समतायुक्त, शक्तिशाली भारत का मार्ग प्रशस्त करता है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं)

पृष्ठ 15 का शेष

से प्रतिउत्तर दें या इसे सामाजिक, आर्थिक समस्या के रूप में प्रतिपादित करे। क्षीण दृष्टि वाली संप्रग सरकार यह महसूस ही नहीं कर पा रही है कि माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों को संचालित करने के लिए, यह अति महत्वपूर्ण है कि दूरदराज वाले क्षेत्रों को माओवादियों से वापस अपने कब्जे में लिया जाए और उन्हें नागरिक प्रशासन के हवाले कर दिया जाए जब तक इन क्षेत्रों में नागरिक प्रशासन स्थापित नहीं किया जाता, इन क्षेत्रों को हथियारों, हिंसा और भूमिगत सुरगों से स्वतंत्र नहीं कराया जाता तब तक इन क्षेत्रों में विकास की कोई गतिविधि नहीं हो सकती। यह माओवादियों के खिलाफ एक स्वतंत्र नीति है जोकि आवश्यक है। माओवादियों की सैनिक गतिविधियों से, समन्वय और मजबूत सुरक्षा कार्रवाई से निपटना चाहिए। जहां विकास की गतिविधियों के कार्यक्रम चलाना संभव हो, उन्हे सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। जहां माओवादी नियंत्रण को समाप्त किए बिना विकास कार्यक्रम को संचालित करना संभव नहीं है, वहां माओवादी नियंत्रण को समाप्त करके वहां विकास के कार्यक्रम संचालित किए जाएं। यहां माओवादियों और उनके आंदोलन, जिसका उद्देश्य भारतीय के संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करना और उखाड़ फेंकना है। ऐसे आंदोलन के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़ने की भी आवश्यकता है।

भारतीय जनता पार्टी का यह स्पष्ट विचार है कि भारत माओवादियों के खिलाफ इस लड़ाई में हार को स्वीकार नहीं कर सकता। हमें माओवादी प्रभाव के क्षेत्रों में सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करना है। केन्द्र और राज्य के बीच समन्वय की आवश्यकता है। कानून और शान्ति व्यवस्था राज्य का विषय है, परन्तु कानून व्यवस्था की समस्या भारत की सम्प्रभुता और संसदीय लोकतंत्र की सीमाओं का अतिक्रमण करके गंभीर खतरे के रूप में हो, तब केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकती। केन्द्र बनाम राज्य या सुरक्षा बनाम विकास की निरर्थक बहस के बीच राष्ट्र अपनी जवाबदेही को नहीं छोड़ सकता। समूचे राष्ट्र को एक स्वर में आवाज उठाने की आवश्यकता है। भारत उस आवाज को उठाने के लिए तैयार है। वही संप्रग के अन्दर से दो तरह की आवाज सुनी जा रही हैं। राष्ट्र यह नहीं जानता कि दोनों स्वरों में से प्रधानमंत्री किसे अपना समर्थन देते हैं। ■

1989 के समझौता को निरस्त करने की मांग होगी : सुषमा स्वराज

Hkkरतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि संसद के अगले माह होने वाले सत्र के प्रथम दिन ही नियम 1984 के तहत लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। भोपाल के गैस पीड़ितों को समुचित न्याय सुनिश्चित करने के लिए उस प्रस्ताव में 1989 में किए गए समझौता को रद्द करने पर जोर दिया जावेगा। प्रस्ताव में प्रमुख रूप से भोपाल गैस त्रासदी की भेंट चढ़े दिवंगत व्यक्तियों के परिवारजन को सम्मानजनक मुआवजा की राशि दिए जाने, गैस पीड़ितों का उत्कृष्ट उपचार किए जाने और गैस रिसन के दोषियों को कठोर दंड दिये जाने की मांग की जावेगी। श्रीमती सुषमा स्वराज भोपाल में पालीटेक्निक चौराहा पर भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित विशाल धरना, प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थीं।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने भोपाल गैस त्रासदी में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दोषी बताते हुए कहा कि इसमें देश की न्याय व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ चुकी है। जिस तरह से एक्सन लिया गया, उससे राजीव गांधी और जस्टिस अहमदी भी कटघरे में खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 7 जून, 2010 के फैसले ने मीडिया को सक्रिय किया और सारे रहस्य सामने आ गये हैं। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि एंडरसन को भगाया ही नहीं गया बल्कि कांग्रेस नेतृत्व विशेष रूप से राजीव गांधी सरकार ने उसे ससम्मान विदाई भी दी। इसे भगायी नहीं विदायी कहना उचित होगा। इस पूरे के पूरे हादसे में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और सोनिया गाँधी की खामोशी देश की जनता के साथ क्रूर मजाक है।

''हादसा वह नहीं था जो घट गया,
हादसा यह है कि सब चुपचाप हैं''

शेर के साथ श्रीमती स्वराज ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में बिल्कुल बेनकाब हो चुकी है। कार्बाइड की स्वस्वाधिकारी कंपनी डाव केमिकल्स की तरफ से पैरोकारी करने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता श्री अभिषेक मनु सिंघवी हैं। इससे कल्पना की जा सकती है कि कांग्रेस से किसी भी तरह गैस पीड़ितों के हित की अथवा न्याय की आशा नहीं की जा सकती है। श्रीमती सुषमा स्वराज ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात झा से आग्रह किया कि राज्यसभा के आगामी सत्र में वे भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित प्रस्ताव पूरी आक्रामकता के साथ लावें और भोपाल की जनता के आंसू पोंछने के लिए प्रतिबद्ध हों।

म.प्र. के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी ने हाल ही में देश के विधि और न्याय मंत्री श्री वीरप्पा मोइली को एक ज्ञापन सौंपा है।

धरना को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मामले में अपील करने और धारा कैसे बदली गयी इसका पता लगाने, गैस राहत अस्पताल ट्रस्ट के पुनर्गठन करने, मुआवजा की राशि बढ़ाने और सीआरपी की लचर धाराओं में संशोधन करने, मुख्य अभियुक्त एंडरसन को भारत लाकर कानून के हवाले करने की मांग की है, जिस पर मोइली ने कार्यवाही करने का वचन दिया है।

वरिष्ठ भाजपा नेता व सांसद श्री अनिल माधव दवे ने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री की भूमिका पर जितने सवाल उठे है उससे प्रधानमंत्री सचिवालय की विश्वसनीयता घटी है। श्री दवे ने उस समय गैस त्रासदी के मामले में लिये गये फैसले की जांच की मांग की है। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस की साजिश की

कड़े शब्दों में भर्त्सना की और कहा कि जिन लोगों ने गैस पीड़ितों के हितों का हनन किया है उनके आचरण की जांच होना चाहिए। उनका आचरण गद्दारीपूर्ण रहा है।

पॉयनियर के सम्पादक व भाजपा सांसद श्री चंदन मित्रा ने कहा कि कांग्रेस में मानवता की भावना शेष नहीं है। यूएसए में एक्साल तेल कंपनी के डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया तो उसे 400 मिलियन डालर दिये जाने का प्रस्ताव हुआ। लेकिन भोपाल में 15 हजार लोग मौत की नींद सो गए। फिर भी भारतीयों की मौत का सम्मानजनक आंकलन करने में अमेरिका को परहेज है। इसका हम जवाब लेकर रहेंगे।

भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री विक्रम वर्मा ने कहा कि 1984 गैस त्रासदी में संवैधानिक विडंबना यह रही है कि केन्द्र सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं और न्याय पालिका को सीमित कर दिया। उनके हाथ बांध दिये। उसका दायर छोटा कर दिया, इसी का नतीजा है कि गुनाहागारों को कड़ा दंड नहीं मिल पाया।

म.प्र. के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता श्री सुंदरलाल पटवा ने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी में भोपाल की जनता तत्कालीन केन्द्र सरकार और मध्यप्रदेश की तत्कालीन सरकार द्वारा ठगी गयी है। जांच इस बात की कि जाना चाहिए कि गैस रिसन हादसा किसी जहरीली गैस जिसका मारक प्रभाव है, उसका मानव जीवन पर परीक्षण तो नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि गैस रिसन एक सोची–समझी साजिश थी। ऐसा नाजी कैंप में हो चुका है। भारत सरकार को इस संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार कर जांच करना चाहिए।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री थावरचंद गेहलोत ने धरना, प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि इस त्रासदी में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी दोषी हैं। इस मामले को री–ओपन किया जाना चाहिए। आर्थिक मुनाफा कमाने के लिए मानवता के साथ खिलवाड़ किया गया है।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित जनता की लड़ाई हम तीन स्तर पर लड़ेंगे और अंत में पीड़ितों को राहत दिलाकर ही दम लेंगे। लोकसभा में हमारे संघर्ष का नेतृत्व श्रीमती सुषमा स्वराज करेंगी। प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात झा के नेतृत्व में संघर्ष जारी रखा जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गठित विधि विशेषज्ञों की समिति की भावना के अनुसार इसे न्यायालय के क्षेत्र में पूरी दृढ़ता के साथ लड़ा जावेगा और गुनाहगारों को दंडित किया जावेगा।

प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री प्रभात झा ने धरना, प्रदर्शन की सफलता के लिए मीडिया कर्मियों, पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों का आभार मानते हुए कहा कि हम मीडिया संचार माध्यमों के विशेष रूप से कृतज्ञ हैं, जिन्होंने इस त्रासदी के रहस्यमय पहलुओं को उजागर करके जनता में नव जागरण किया है और हमारे संघर्ष को बल प्रदान किया है। समूचे मामले में यह बात तय हो चुकी है कि कांग्रेस संवेदनहीन भावना शून्य हो चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का जनता के नाम संदेश भी जनता तक पहुंचाया और कहा कि मुख्यमंत्री ने नीदरलैंड से भरोसा दिलाया कि लीगल एक्सपर्ट कमेटी की अनुशंसा पर अमल किया जावेगा और विदेश से प्रवास से लौटने के बाद मुख्यमंत्री गैस पीड़ितों के बीच जावेंगे और उनके सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी पुनर्वास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि यदि गैस पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने में केन्द्र सरकार ने आना–कानी की अथवा अनुदारता का परिचय दिया तो राज्य सरकार अपने बजट से गैस पीड़ितों को राहत प्रदान करने में हिचकेगी नहीं।

श्री प्रभात झा ने केन्द्र सरकार की नीयत और नीति पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसकी सरकारें पीड़ितों के प्रति कतई संवेदनशील नहीं रही। केन्द्र सरकार ने जिस तरह गुजरात के मामलों में तुरंत न्यायदान की व्यवस्था की क्या गैस पीड़ितों के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना नहीं की जा सकती थी। केन्द्र सरकार ने हमेशा भोपाल के साथ सौतेला व्यवहार किया है।

धरना, प्रदर्शन का संचालन प्रदेश मंत्री श्री रामेश्वर शर्मा ने किया और आभार प्रदर्शन भोपाल जिला नगर अध्यक्ष श्री आलोक शर्मा ने किया। इस अवसर पर जिले के कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था की कमाना संभाली। श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री प्रभात झा ने धरना, प्रदर्शन को प्रभावी बताया और कार्यकर्ताओं के लगन और परिश्रम की भूरि–भूरि सराहना की। प्रदेश संगठन महामंत्री माखन सिंह चौहान, प्रदेश सह संगठन महामंत्री भगवतशरण माथुर, अरविन्द मेनन, प्रो. कप्तानसिंह सोलंकी, भूपेन्द्र सिंह, रामपाल सिंह, रघुनंदन शर्मा, उषा चतुर्वेदी, राकेश सिंह, विनोद गोटिया, अंजु माखीजा, उषा ठाकुर, नंदकुमार सिंह चौहान, अरविन्द भदौरिया, रामेश्वर शर्मा, गणेशसिंह पटेल, सरिता देशपाण्डे, ओमप्रकाश खटीक, दशरथ सिंह लोधी, नागरसिंह चौहान, ज्योति येवतिकर, राजो मालवीय, चैतन्य काश्यप, गोविन्द मालू सहित सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, पार्षद सहित बडी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। ■